दिसम्बर 2024

मूल्य : ₹ 22

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

कौशल विकास एवं उद्यमिता

हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर **'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय'** के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 71 ★ मासिक अंक : 2 ★ पृष्ठ : 52 ★ माघ-पौष 1946 ★ दिसम्बर 2024

प्रधान संपादक : **कुलश्रेष्ठ कमल**

वरिष्ठ संपादक : **ललिता खुराना**

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : पवनेश कुमार बिंद

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं- 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोट: सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग-इन करें ।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं-779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

इस अंक में

कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकारी पहल 5
-ऋषिकेश पटांकर

भारत में कौशल विकास और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र 12
-जय प्रकाश पांडे, राजा पंडित

किसानों के कौशल विकास में है कृषि का उज्ज्वल भविष्य 19
-भुवन भास्कर

कौशल भारत : कार्यबल के सशक्तीकरण की ओर 24

तकनीक के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास 29
-राशि शर्मा

ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी 35
-डॉ. नम्रता सिंह पंवार

ग्रामीण भारत में कुशल कार्यबल का निर्माण 42
-बीएस पुरकायस्थ

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादजी शिंदे बीएसएनएल टी ई कम्पाउंड, पूना क्लब के पास, कैंप, पुणे	411001	-
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं- 204, दूसरा तल, सीजीओ टॉवर, कवादिगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फ़र्स्ट फ्लोर, 'एफ़ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर, एमआरडी रोड, चानमारी, गुवाहाटी	781003	0361-4083136

संपादकीय

भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता दो आवश्यक स्तंभ हैं। ये न केवल रोज़गार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो देश के लिए एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश है। लेकिन यह लाभ तभी संभव है जब इस युवा शक्ति को कौशल प्रशिक्षण देकर रोज़गार योग्य बनाया जाए। यदि युवा अनस्किल्ड या कम स्किल्ड रहेंगे, तो यह आबादी देश के लिए बोझ बन सकती है।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, जहां बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि आधारित कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों और व्यवसाय के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

भारत में हर वर्ष लाखों युवा रोज़गार की तलाश में रहते हैं। हालांकि, पारंपरिक नौकरी के अवसर सीमित हैं, ऐसे में उद्यमिता रोज़गार सृजन का एक प्रभावी साधन बन सकती है। स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय न केवल स्वयं रोज़गार उत्पन्न करते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में रोज़गार के नए अवसर भी प्रदान करते हैं। उद्यमिता समाज की समस्याओं का समाधान करने और बाज़ार में नवाचार लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज कई भारतीय स्टार्टअप ने न केवल उपभोक्ता अनुभव को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है।

उद्यमिता स्थानीय उत्पादन, निर्यात, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इस तरह उद्यमिता 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को भी साकार करने में मददगार हो सकती है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पहलों ने उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। उद्यमिता महिलाओं सहित अनुसूचित जाति/जनजाति, और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का माध्यम भी बन रही है।

भारत में युवाओं में कौशल विकास समय की आवश्यकता है चूंकि आज के समय में उद्योगों को तकनीकी रूप से कुशल कामगारों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2025 तक 10 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन के इस युग में डिजिटल कौशल और उन्नत तकनीकों का ज्ञान होना अनिवार्य हो गया है।

2015 में शुरू किए गए कौशल भारत मिशन का उद्देश्य 2025 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करती है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया गया है, जो युवाओं को तकनीकी और डिजिटल कौशल प्रदान कर रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, और डेटा एनालिटिक्स जैसे कौशल प्रदान किए जा सकते हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखेंगे।

सरकार के कौशल विकास की दिशा में पुरज़ोर प्रयासों के बावजूद कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और विशेषज्ञता की कमी है। इसके लिए उद्योग-शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सरकार, उद्योग, और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि एक आत्मनिर्भर, समावेशी और सतत विकासशील राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा।

कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकारी पहल

*ऋषिकेश पटांकर

भारत में उद्योग नेताओं द्वारा प्रमुख रूप से उजागर की गई एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रमिकों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। यह समस्या इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि अधिकांश नए कर्मचारी अपने सौंपे गए कार्यों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित होते हैं। इस खामी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत में कौशल विकास पहलों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशलयुक्त मानव संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटना है। इसके लिए एक मजबूत व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचा बनाना, कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना और नए कौशल और नवोन्मेषी सोच को बढ़ावा देना है। ये पहलें न केवल मौजूदा नौकरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं बल्कि भविष्य में बनने वाली रोजगार संभावनाओं के लिए भी काम करती हैं।

तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों और डिजिटल विघटन के इस दौर में, एक दूरदर्शी कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण है ताकि कार्यबल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। MSDE का मिशन भारत के लाखों लोगों को तेजी, दक्षता और उच्च मानकों के साथ कौशल प्रदान करना है, ताकि 'कौशल भारत' के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

इस दिशा में, MSDE को कई कौशल-केंद्रित संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) प्रमुख है। NSDC एक संयुक्त सार्वजनिक-निजी संस्था है जो NSDC इंटरनेशनल के तहत प्रमाणित कौशल, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त, 37 सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) और 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI), DGT के तहत लगभग 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 187 प्रशिक्षण भागीदार NSDC के साथ पंजीकृत हैं।

उदाहरण के लिए, हाल ही में इजराइल से 10,000 कुशल श्रमिकों की मांग की गई। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा उद्योग

*लेखक वर्तमान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) में उपाध्यक्ष हैं।

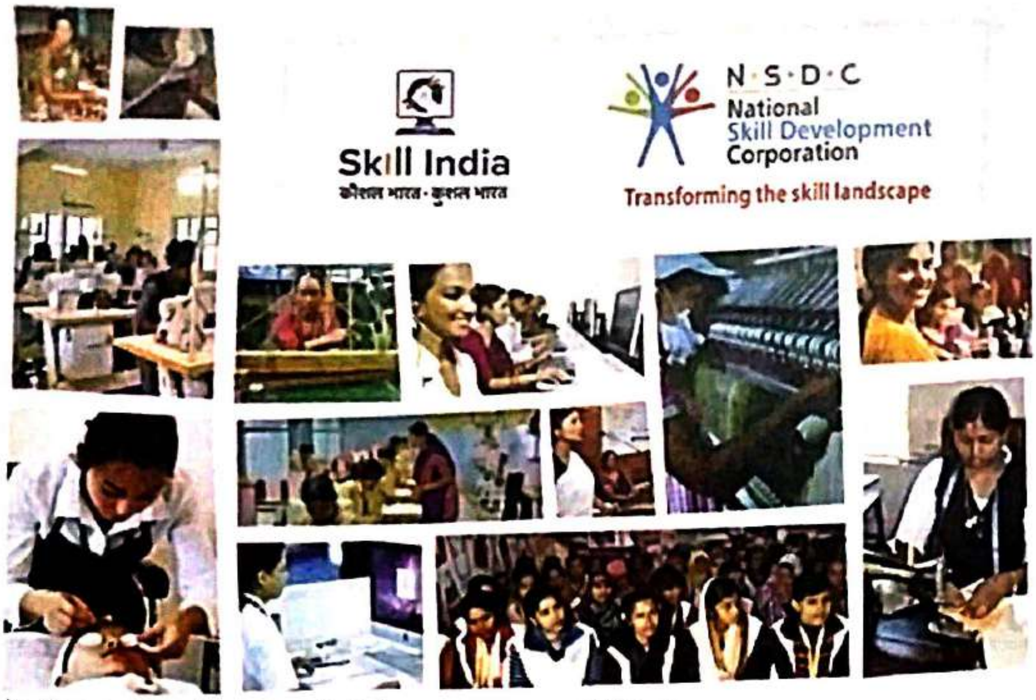

के लिए 5,000 देखभालकर्ताओं के साथ 10,000 अतिरिक्त श्रमिकों की मांग की गई। सरकार-से-सरकार समझौते के कारण, NSDC ने इज़राइल के जनसंख्या, आव्रजन और सीमा प्राधिकरण (PIBA) के साथ मिलकर तीन राज्यों में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। PIBA द्वारा निर्धारित कौशल के आवश्यक स्तर को पूरा करने वालों का चयन किया गया, उन्हें स्थानीय इज़राइली भाषा, सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों के बारे में जानकारी दी गई, श्रमिकों के लिए सुनिश्चित वेतन और आवास की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय कौशल विकास केंद्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य ऑन-फील्ड गठबंधनों के मौजूदा नेटवर्क के साथ-साथ प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NSVET), राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (NSDF) के साथ काम करने का इरादा रखता है। बहुस्तरीय जुड़ाव और कौशल विकास कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उद्योग और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी शुरू किया गया है।

हालांकि व्यापक, महत्वाकांक्षी अखिल भारतीय कौशल विकास कार्यक्रम एक व्यापक राष्ट्रीय विज़न द्वारा संचालित किए बिना हासिल नहीं किए जा सकते। MSDE ने तदानुसार अपने विज़न वक्तव्य 2025 को परिभाषित किया है। इसका उद्देश्य उत्पादकता लाभांश को तीव्रता से बढ़ा कर मानव पूंजी को अनलॉक करना है ताकि सभी नागरिकों हेतु आकांक्षात्मक रोजगार के अवसर और उद्यमिता हेतु रास्ते खुल सकें।

MSDE का विज़न 2025 देश को एक उच्च कौशल संतुलन की दिशा में स्थानांतरित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र-समर्थक दृष्टिकोण अपनाता है, जो व्यक्तियों, उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने में मदद करता है। इसके दृष्टिकोण के तहत तीन प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है:

- सामाजिक गतिशीलता का समर्थन करने वाले व्यक्तिगत आर्थिक लाभों को सक्षम बनाना।
- एक शिक्षार्थी केंद्रित, मांग-संचालित कौशल बाज़ार का निर्माण करना।
- आकांक्षात्मक रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों के सृजन को सुविधाजनक बनाना जो उद्यमों के लिए समग्र उत्पादकता में सुधार लाएं और आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित करें।

जैसाकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार यह ज़ोर दिया है कि हमारे लोगों को एक उद्यमिता मानसिकता विकसित करनी चाहिए, जो उन्हें एक ऐसे उद्यमी में बदल दे, जो दूसरों के लिए रोज़गार उत्पन्न करे, न कि केवल किसी न किसी नौकरी की तलाश में संतुष्ट हो।

उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए पहल

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार देश में उद्यमिता ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। MSDE का उद्देश्य एक सजीव और समावेशी उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो सभी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों, आकांक्षी ज़िलों, जीवंत गाँवों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों का समर्थन करता है।

इसके अलावा, सरकार का उद्देश्य महिला उद्यमिता को लक्षित पहलों, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और वित्त तक आसान पहुँच के माध्यम से बढ़ावा देना है। सरकार उद्यमिता के लिए एक अनुकूल नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है, जिसमें नियमों में सुधार, प्रक्रिया को सरल बनाना, नौकरशाही अड़चनों को कम करना और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना शामिल है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि एक नियामक सैंडबॉक्स वातावरण स्थापित किया जाए, जो नए उद्यमों को एक नियंत्रित वातावरण में नवाचार उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण करने की अनुमति दे, साथ ही नियामक रियायतें भी प्रदान की जाएं। इस तरह से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विभिन्न हितधारकों- जैसे सरकारी एजेंसियों, उद्योग विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और अकादमिक क्षेत्रों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएंगे, ताकि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसके अलावा, राज्यों से उनकी नवाचार नीतियों के संबंध में सहयोग और परामर्श लिया जाएगा।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और अनुकूलित वित्तीय उत्पादों के निर्माण के माध्यम से नैनो और माइक्रो उद्यमियों के लिए, खासकर हाशिए के समुदायों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए, ऋण वित्त तक पहुँच में भी सुधार किया जा रहा है। कौशल विकास और ऋण वित्त के बीच अभिसरण को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तपोषण अवसरों के बीच निर्बाध संबंध विकसित करके सुगम बनाया जा रहा है, ताकि महत्वाकांक्षी उद्यमियों को व्यावहारिक रूप से कार्य संचालन में, अपने कौशल का उपयोग करने में सहायता मिल सके।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के क्षमता निर्माण के साथ-साथ NBFC और नैनो उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, ताकि ऋण लागत पर अंकुश लगाया जा सके और इन उद्यमियों को औपचारिक ऋण मार्गों तक पहुँचने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, दो स्तरों पर इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर स्थापित करके उद्यमिता के लिए एक मज़बूत समर्थन प्रणाली बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं:

-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI), ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और

-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) उच्च गुणवत्ता वाले परामर्श, प्रशिक्षण, कोचिंग और मेंटरशिप नेटवर्क स्थापित करके और स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए उद्यमशीलता प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ सहयोग करके उभरते उद्यमियों की मदद करते हैं।

रणनीतिक उद्योगों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर) के साथ ITI-उद्योग साझेदारी को मज़बूत करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके लिए उद्योग के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उन्हें ITI और NSTI में केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही, उन्हें सहायक उत्पाद घटकों के लिए विनिर्माण श्रृंखलाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें ईवी, सौर संयंत्र, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए सहायक इकाई शामिल हो सकती है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर, ईवी आदि उद्योगों के लिए ये इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाए जा सकते हैं।

व्यावहारिक उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जा सकता है, जिसमें डिज़ाइन और आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, बाज़ार अनुसंधान और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं।

उद्यमिता को स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। इससे छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता पैदा होगी, जिससे उन्हें उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। वार्षिक राष्ट्रीय हैकथॉन भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि उद्यमशीलता अधिक आकांक्षापूर्ण बन सके।

उपरोक्त के अलावा, सरकार स्थानीय समुदायों और जमीनी स्तर के उद्यमियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की योजना बना रही है ताकि उनकी अनूठी आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझा जा सके। इससे क्लस्टर-आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता सहायता योजनाओं को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी।

उद्यमिता प्रशिक्षण, मेंटरशिप और व्यवसाय विकास सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए AI, IoT, ब्लॉकचेन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी नई-पुरानी तकनीकों का भी लाभ उठाया जा सकता है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के लिए एक

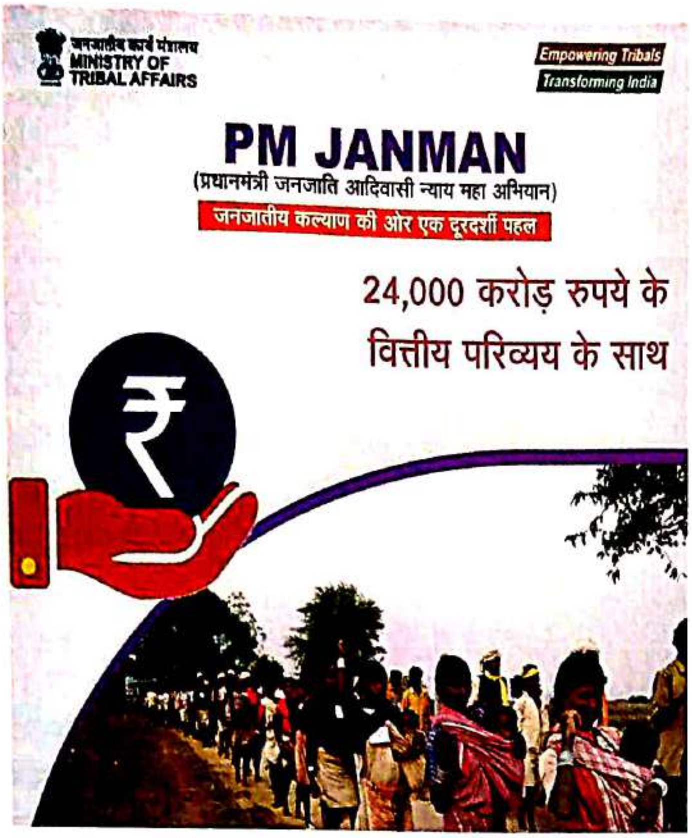

राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण उद्यमियों को साथियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों से जुड़ने, ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। इसी तरह, क्रिएटिव और डिजिटल सेवा प्रदाता और फ्री लांसर स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे समर्पित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। इसमें उद्यमियों को उनके उद्योग, व्यवसाय के चरण और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सलाहकारों से मिलाना शामिल होगा।

एमएसडीई के उद्यमिता विभाग की भूमिका

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एमएसडीई के उद्यमिता विभाग ने महिलाओं, निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और हाशिए पर पड़े समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की कार्यक्रमों की शृंखला बनाई है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIT) जैसे स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने पूरे देश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अल्पसंख्यकों और दिव्यांग लोगों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया है। जबकि इन समूहों को उद्यमिता जागरूकता और विकास कार्यक्रमों को वितरित करने में प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय/ऋण, बाजार संपर्क और उद्योग कनेक्शन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों का उपयोग किया गया है। इस तरह, विभाग ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो लक्षित लाभार्थियों के कौशल विकास और पुनर्कौशल को बढ़ावा देता है, जिससे उभरते बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है।

प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां

1. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN):

MSDE अपने स्वायत्त संस्थानों NIESBUD और IIE के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के उत्थान के लिए है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में चल रही है और इसे 'ट्राइफेड' (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) के सहयोग से 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है। NIESBUD और IIE अब तक भारत भर में 36,462 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं, और यह कार्यक्रम नवंबर 2024 तक जारी रहेगा।

2. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर)

राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के तहत MSDE ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। NIESBUD और IIE द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना में एक सप्ताह का कक्षा कार्यक्रम और 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और सहायता शामिल है। यह परियोजना फरवरी 2024 से शुरू हुई है और इसका लक्ष्य 2,050 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना है, जिनमें 40% से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो। अब तक 1,744 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

स्ट्राइव* परियोजना - एमएसडीई की स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) परियोजना के तहत, NIESBUD और IIE भारत भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और प्रशिक्षुओं (और भावी प्रशिक्षकों) का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्ट्राइव के तहत, NIESBUD ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 100,000 लक्ष्य में से 45,339 को प्रशिक्षित किया है, जबकि IIE ने अपने 29,000 के लक्ष्य में से 11,000 को प्रशिक्षित किया है। NIESBUD ने कुल 32,091 को प्रशिक्षित किया है, जबकि IIE ने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 50,000 लक्ष्य में से 9 को प्रशिक्षित किया है। EDP

*STRIVE - Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement

के पूरा होने के बाद, वे प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करते हैं। संस्थान लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

- **संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन सहायता और सहायता के माध्यम से उद्यमशील वातावरण को बढ़ाना:** IIE और NIESBUD के माध्यम से, MSDE 'संकल्प' (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) के माध्यम से पूरे भारत में SC और ST सहित उद्यमियों को सशक्त बनाने, उत्थान और विकास करने के लिए काम कर रहा है। परियोजना की योजना विविध हाशिए के समूहों के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की है। NIESBUD ने 482 उम्मीदवारों (लक्ष्य 15,000) के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है और IIE ने सितंबर 2024 तक 9,444 उम्मीदवारों (लक्ष्य 10,000) को प्रशिक्षण दिया है।
- **छह शहरों में उद्यमिता विकास:** छह मंदिर शहरों – हरिद्वार, बोधगया, कोल्लूर, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में उद्यमिता संवर्धन और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के मार्गदर्शन पर एक पायलट परियोजना NIESBUD और IIE के माध्यम से MSDE द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह संभावित और मौजूदा उद्यमियों, कॉलेज छोड़ने वालों, बेरोजगार युवाओं, पिछड़े समुदायों के युवाओं आदि को शामिल करके स्थानीय उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। इन छह स्थानों पर, कुल मिलाकर 11,897 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 2,482 नए उद्यम स्थापित किए गए और 2,532 मौजूदा उद्यमों को बढ़ाया गया, जो उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है।
- **उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से, MSDE ने उचित मूल्य की दुकान (FPS) मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना शुरू की है। पूरे भारत में, कार्यक्रम अपने पहले चरण में 3,000 FPS मालिकों को कवर करेगा। पहला क्षमता निर्माण बैच 70 लाभार्थियों के लिए 27 से 31 मई, 2024 तक आयोजित किया गया था। यह परियोजना PMKVY योजना के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम एफपीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई गई समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाएगा। प्रतिभागियों को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन ज्ञान के साथ-साथ सरकारी सहायता प्रणाली और वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता से भी लैस किया जाएगा।
- **पूर्वोत्तर शैक्षणिक संस्थानों में ईडीसी और आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन:** IIE पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन करेगा। इस परियोजना में आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 30 ईडीसी और चार आईसी का प्रबंधन, 30 लक्षित ज़िलों से क्रमशः 600 सलाहकारों और 3,600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, चार आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को इनक्यूबेट करना, चार आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेट के लिए अभिसरण और सीड फंड के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना शामिल है।
- **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना:** NIESBUD और IIE ने एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के तत्वावधान में प्रशिक्षण शुरू किया है, जबकि पीएम-दक्ष योजना के तहत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास सत्र आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य इन युवाओं को

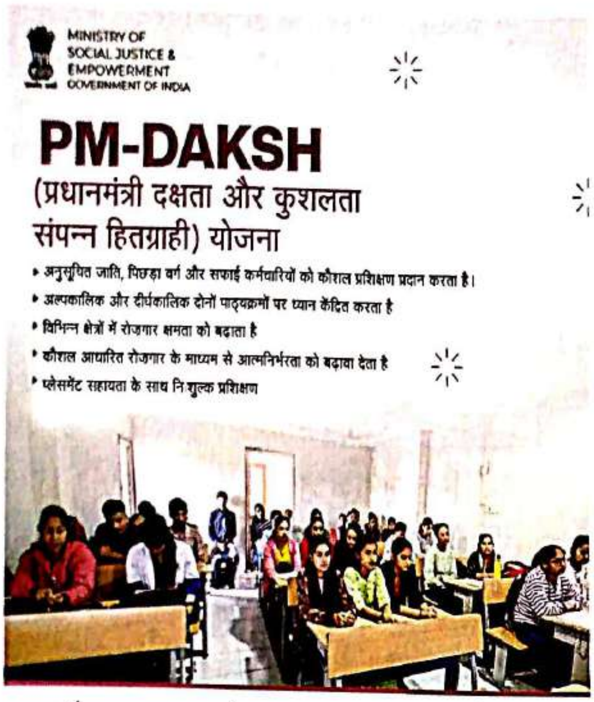

कौशल प्रदान करके उनका उत्थान करना है ताकि वे स्थायी आजीविका उत्पन्न कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) के जरिए IIE ने त्रिपुरा और असम में 2022-23 में उद्यमिता विकास में 305 लाभार्थियों और कौशल विकास में 250 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया। साथ ही, 2023-24 में उद्यमिता विकास में 649 और लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

IIE ने PM-DAKSH के अंतर्गत NBCFDC के माध्यम से अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए मणिपुर में 2022-23 में 120 लाभार्थियों को और असम में 2023-24 में उद्यमिता विकास में 240 लाभार्थियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया।

NSKFDC ने सफाई कर्मचारियों को सतत आजीविका और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को सक्षम बनाया है, जिसके तहत 2022-23 में मणिपुर में 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। NSKFDC कार्यक्रमों ने 2021-22 में 553 लाभार्थियों, 2022-23 में 972 और 2023-24 में 675 लाभार्थियों तक पहुँच बनाई। लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से, NIESBUD और IIE ने हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सौर उद्यमिता पर ESDP: MSDE द्वारा समर्थित, NIESBUD पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर उद्यमिता पर उद्यमिता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। PMKVY के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में शुरू की गई यह परियोजना सौर पीवी सिस्टम स्थापित करने और रखरखाव करने में सक्षम कुशल उद्यमियों का पोषण करेगी। सितंबर 2024 तक 10,000 के लक्ष्य में से 437 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

- **एनएसडीसी द्वारा प्रायोजित उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम:** NIESBUD को NSDC द्वारा प्रायोजित पीएमकेवीवाई 4.0 की एक विशेष परियोजना के तहत उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं। संस्थान ब्राइडल फैशन और पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट जैसी भूमिकाओं के साथ-साथ एलईडी लाइट रिपेयर तकनीशियन, सोलर एलईडी तकनीशियन और सोलर पीवी इंस्टॉलर - इलेक्ट्रिकल जैसी भविष्य की नौकरियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सितंबर 2024 तक, 10,000 लक्ष्य में से 1,050 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
- **जेल कैदियों के बीच उद्यमिता का विकास:** MSDE के समर्थन से, NIESBUD ने क्षमता निर्माण, सलाह, हैंडहोल्डिंग और इनक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से जेल कैदियों के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना को क्रियान्वित किया है। यह परियोजना पहले ही सेंट्रल जेल (वाराणसी) और मॉडल जेल एवं नारी बंदी निकेतन (दोनों लखनऊ में) में लागू की जा चुकी है। 600 उम्मीदवारों के लक्ष्य में से, सितंबर 2024 तक 480 को प्रशिक्षित किया गया।
- **जन शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ईडी कार्यक्रम:** NIESBUD के माध्यम से, MSDE जन शिक्षण संस्थानों (JSS) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToTs) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) द्वारा एक उद्यमी माहौल बना रहा है। इस परियोजना में JSS के 2,000 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और JSS के 4,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए EDP के रूप में विभिन्न घटक थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, ऊष्मायन सहायता, सलाह और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना शामिल था।

एमएसएमई के स्फूर्ति कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी: स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा भारत में पारंपरिक उद्योगों को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसका ध्यान क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित था। आज तक, IIE गुवाहाटी ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 61 क्लस्टरों में से 55 को क्रियाशील कर दिया है। 61 क्लस्टरों में कुल कारीगर और उत्पादक आधार लगभग 30,000 है, जिनकी आजीविका

आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य सुविधाओं (कार्यात्मक क्लस्टरों में) से लाभान्वित हुई है।

- **HUL द्वारा समर्थित उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमः** NIESBUD ने HUL की CSR पहल के तहत अखिल भारतीय स्तर पर 1,00,000 युवाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (HUL) के साथ सहयोग किया है। सितंबर 2024 तक, 1,00,000 लक्ष्य में से 95,500 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

स्फूर्ति योजना

वित्तीय सहायताः

क्लस्टर का प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
* हेरिटेज क्लस्टर (1000-2500 कारीगर)	8 करोड़ रुपये
* प्रमुख क्लस्टर (500-1000 कारीगर)	3 करोड़ रुपये
* मिनी-क्लस्टर (500 कारीगर)	1 करोड़ रुपये

योग्य संस्थाएं

* कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व (सीएमआर) फाउंडेशन
* राज्य एवं केंद्र सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारी
* केंद्र एवं राज्य सरकार की संस्थाएं
* गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
* पंचायती राज संस्थाएं
* अर्ध-सरकारी संस्थान
* निजी क्षेत्रः क्लस्टर विशिष्ट SPV का गठन कर

उद्यमिता को समर्थन देने के लिए कुछ नई पहल

-नीति आयोग की परियोजना स्वावलंबिनी

MSDE स्वावलंबिनी परियोजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ सहयोग करेगा। इसे महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन्हें उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए उपलब्ध सहायता तंत्र, संसाधनों, योजनाओं और नेटवर्क के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य छह चिह्नित प्रमुख आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट महिला छात्र उद्यमियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें उद्यमी के रूप में करियर के लिए तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना भी है, ताकि महिला छात्रों के बीच उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान -MSDE जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का भी समर्थन कर रहा है, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी ज़िलों तथा ब्लॉकों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। अभिसरण प्राप्त करने के लिए, MSDE देश भर में 30 चिह्नित जनजातीय ज़िलों में 30 नए कौशल केंद्र स्थापित करके योजना का समर्थन करने का प्रस्ताव करता है। यह योजना के तहत 1,000 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की क्षमता निर्माण में भी सहायता करेगा, जो पीएम जनमन योजना के तहत वीडीवीके के लिए पहले से चल रहे क्षमता निर्माण प्रयासों के अनुरूप है।

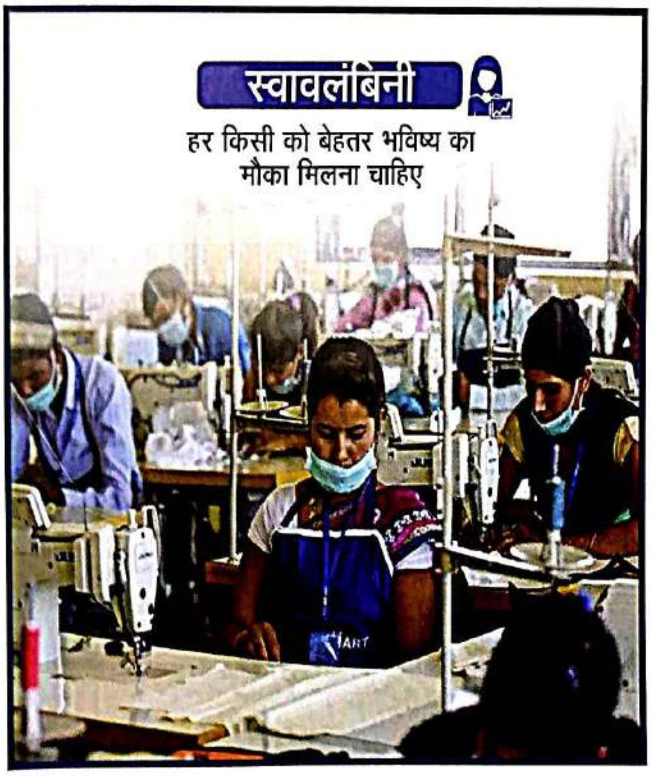

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन -MSDE और ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके सदस्यों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। इस पहल का प्रस्ताव है कि उन्हें नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाए, साथ ही उनके समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हो।

MSDE द्वारा अन्य सरकारी विभागों और NSDC सहित संस्थागत हितधारकों के सहयोग से की जा रही अनेक पहलों को देखते हुए, यह आशा बनी हुई है कि ये उपाय उद्योग की आवश्यकताओं और उद्योगों में उपलब्ध मौजूदा और आने वाले कार्यबल के बीच कौशल अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण होंगे। ❑

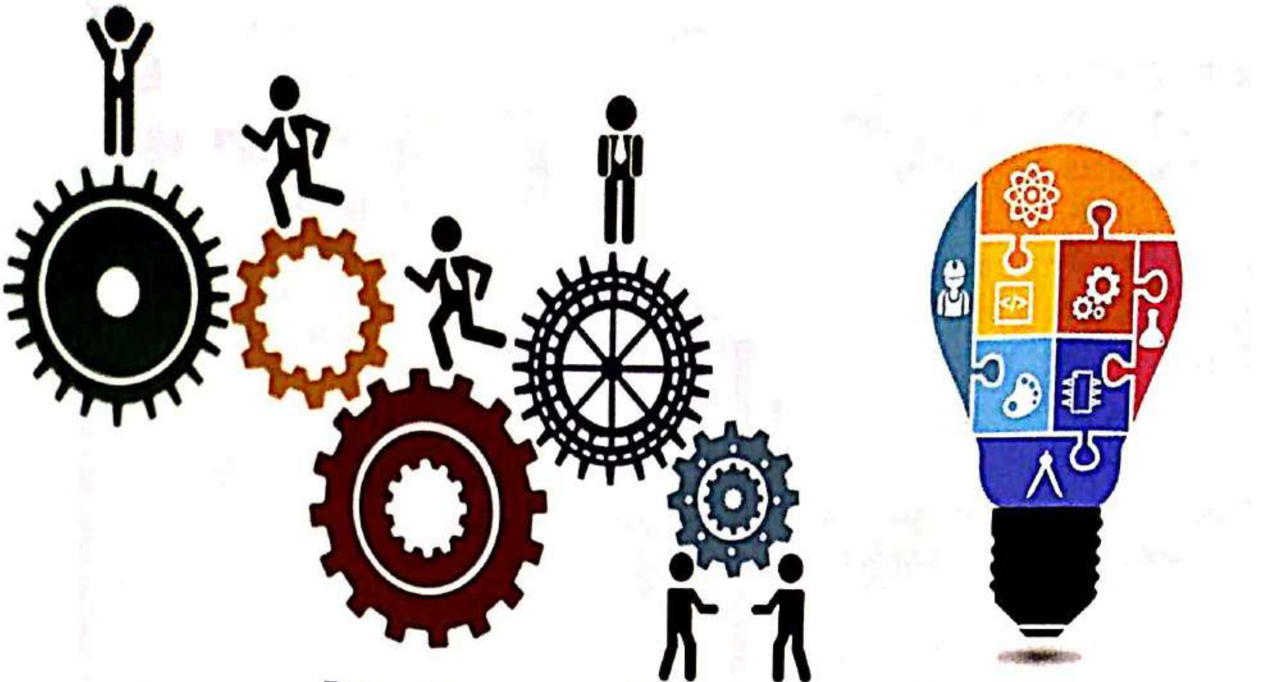

भारत में कौशल विकास और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र

*जय प्रकाश पांडे
**राजा पंडित

हमारे शैक्षिक परिदृश्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बदला गया है कि प्रत्येक बच्चा स्कूल प्रणाली में कम से कम एक कौशल के साथ सीखे और बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए नीति स्तरीय रूपरेखा एनईपी 2020 में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, कौशल और शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव को समाप्त कर दिया गया है। एनईपी 2020 भारत के युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए मूलभूत स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा प्रणाली को एक सूत्र में पिरोने पर ज़ोर देती है।

"उत्पादकता को बढ़ाने और उद्यमिता के साथ सभी के लिए आकांक्षी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मानव पूंजी को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लालकिले से अपने अभिभाषण में यह घोषणा करना कि "भारत विश्व की कौशल राजधानी बनेगा", भारत में कौशल विकास के बढ़ते महत्व और इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

कौशल विकास और उद्यमिता किसी भी देश के जीवन की कुंजी है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक, सेवा से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए विशिष्ट कौशल और उद्यमिता की आवश्यकता होती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है जिसे स्किल, रिस्किल और अप-स्किल की महती आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई पर पहुँचाया जा सके।

कौशल विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कौशल और दक्षताओं को सुधारने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल और अंतर-पारस्परिक कौशल हो सकते हैं। कौशल विकास कैरियर लक्ष्यों को प्राप्त करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने, बदलते कार्य वातावरण के अनुकूल ढलने में मदद, उत्पादकता में वृद्धि, समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और गरीबी में कमी लाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। कौशल विकास में औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौकरी के दौरान अनुभव, स्व-अध्ययन, अप-स्किलिंग,

*लेखक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में अपर सचिव हैं।
ई-मेल : jppandey.irps@gov.in
**लेखक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार में सलाहकार हैं।

क्रॉस-स्किलिंग और रि-स्किलिंग शामिल हैं।

उद्यमिता को मूल्य सृजन के उद्देश्य से नवीन पहल प्रारंभ करने, नवीन प्रक्रिया को विकसित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उद्यमिता मौजूदा अवसरों का उपयोग करने और नवीन विचारों तथा रणनीतियों के माध्यम से नए रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। सामाजिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता एक-दूसरे के पूरक हैं। 'स्किल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' हमारे युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करने की प्रमुख पहल हैं।

कौशल विकास

यद्यपि कौशल विकास की पहल सभी विभागों और मंत्रालयों में अपने-अपने क्षेत्रों में की जाती है, तथापि भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कतिपय उद्देश्यों के साथ देशभर में कौशल विकास प्रयासों का समन्वय सुनिश्चित करता है।

व्यक्तिगत आर्थिक लाभ और सामाजिक गतिशीलता को विकसित कर शिक्षार्थी-केंद्रित और मांग-संचालित एक कौशल बाजार की स्थापना; आकांक्षी रोज़गार और उद्यमिता सृजन को सुगम बनाना; उद्यमों के लिए समग्र उत्पादकता में सुधार और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना।

कौशल विकास का परिदृश्य शिक्षा से प्रशिक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र से कार्यक्षेत्र के वातावरण तक विस्तृत है। कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए नीति स्तरीय रुपरेखा एनईपी 2020 में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, कौशल और शैक्षणिक धाराओं के बीच कठिन अलगाव को समाप्त कर दिया गया है। एनईपी 2020 भारत के युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए मूलभूत

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत स्कूलों में अभ्यर्थियों का राज्यवार विवरण

राज्य	प्रशिक्षण/ अभिविन्यास	राज्य	प्रशिक्षण /अभिविन्यास	राज्य	प्रशिक्षण /अभिविन्यास
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,763	जम्मू और कश्मीर	3,76,553	ओडिशा	5,85,560
आंध्र प्रदेश	5,03,423	झारखंड	2,93,936	पुडुचेरी	32,735
अरुणाचल प्रदेश	91,792	कर्नाटक	5,42,575	पंजाब	4,80,266
असम	7,91,440	केरल	2,65,885	राजस्थान	11,99,930
बिहार	6,73,970	लद्दाख	3,958	सिक्किम	17,443
चंडीगढ़	27,674	लक्षद्वीप	270	तमिलनाडु	8,24,589
छत्तीसगढ	1,93,795	मध्य प्रदेश	9,81,539	तेलंगाना	4,44,530
दिल्ली	5,15,901	महाराष्ट्र	12,72,695	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,459
गोवा	10,371	मणिपुर	98,292	त्रिपुरा	1,53,799
गुजरात	4,50,317	मेघालय	53,622	उत्तर प्रदेश	21,16,689
हरियाणा	6,99,922	मिज़ोरम	38,120	उत्तराखंड	2,25,255
हिमाचल प्रदेश	1,58,657	नगालैंड	49,703	पश्चिम बंगाल	6,21,078

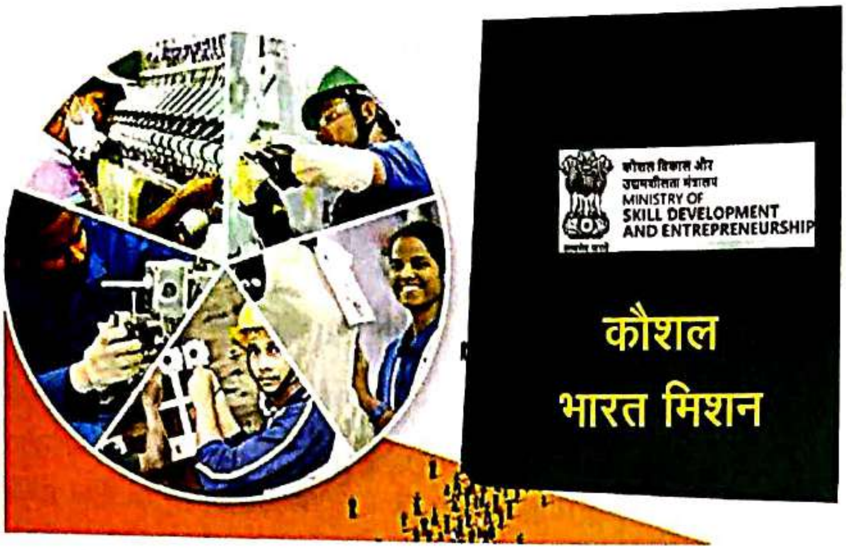

स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया गया है। एनईपी में छात्रों को विभिन्न कौशलों से परिचय बाद में एक्सपोज़र, मध्य चरण में पूर्व-कौशल क्षमताओं के पश्चात और माध्यमिक चरण में छात्रों की पसंद के कौशल पाठ्यक्रमों की शुरुआत की परिकल्पना है ताकि उन्हें लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने में मदद मिल सके।

भारत में कौशल-अंतर कम करना

एनईपी 2020 अकादमिक शिक्षा को व्यावहारिक कौशल के साथ जोड़ने वाले एक लचीले, बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इस एकीकरण का उद्देश्य कौशल शिक्षा से जुड़े सामाजिक तौर पर निम्न स्तर के काम होने की भावना को दूर कर छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार करियर विकल्पों के लिए कई रास्ते प्रदान करना है। कौशल मॉड्यूल छठी से आठवीं कक्षा में ही शुरू किए गए हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न व्यापारों और उद्योगों के बारे में शुरुआती जानकारी मिलती है। कक्षा नौ से बारह तक छात्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी शिक्षा उद्योग मानकों को पूरा कर सकें। इसके साथ प्रशिक्षुता कार्यक्रमों, इंटर्नशिप और व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों ने कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाए हैं। हरियाणा ने ऑटोमोटिव, कृषि और आईटी सहित नौ क्षेत्रों में 50 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। ये केंद्र व्यावहारिक औद्योगिक माहौल में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। मध्य प्रदेश में व्यावहारिक कौशल विकास और करियर अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी स्कूलों में कौशल शिक्षा शुरू की गई है। सिक्किम में सरकारी स्कूलों में बच्चों को जैविक खेती से सम्बंधित कौशल सिखाया जा रहा है।

समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने की योजना को कौशल भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ जोड़कर लागू किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में लगभग 88 एनएसक्यूएफ अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

एक लाख से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौशल शिक्षा का प्रसार।

- हब और स्पोक मॉडल का प्रावधान शुरू किया गया है जिसके तहत हब स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग कौशल प्रशिक्षण के लिए नज़दीकी स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा किया जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्नीक आदि को भी हब के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- कौशल विकास को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने वाले छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग के साथ-साथ उन्हें उचित कैरियर निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्म-जागरूकता उपलब्ध कराना।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएं

कौशल भारत मिशन – वर्ष 2015 में शुरू की गई यह एक व्यापक योजना है जिसमें देश के युवाओं को पर्याप्त कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए कई कौशल योजनाएं/ कार्यक्रम शामिल हैं जो संबंधित क्षेत्रों में उनको रोज़गार योग्य बनाने के साथ-साथ उत्पादकता में भी सुधार करेंगे। यह रोज़गार सृजन, गरीबी कम करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और

उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) शुरू किया गया था। यह मिशन कौशल प्रयासों को समेकित और समन्वित करने के अलावा बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण कौशल प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक विशेष समूह 'ए' सेवा (भारतीय कौशल विकास सेवा-आईएसडीएस) का भी गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)- यह योजना देश में लघु अवधि के मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है। देश भर में लगभग 65 लाख महिलाओं सहित कुल 1.48 करोड़ लोगों को अभी तक प्रशिक्षित किया गया है।

स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पीएमकेवीवाई 4.0 का उद्देश्य 15-45 आयु वर्ग के लिए एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रमों में 300 से 600 घंटे के बीच अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य युवाओं को कुशल बनाने और उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कैरियर पथ चुनने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यह इंडस्ट्री 4.0,वेब 3.0, एआई/एमएल, एआर/वीआर, क्लाइमेट चेंज, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे नए युग के कौशल पर केंद्रित है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)- योजना 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर/नवसाक्षरों, 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करती है। योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर है। वर्तमान में, देश भर में 290 जेएसएस हैं। इसके तहत, अब तक देश भर में 21.63 महिलाओं सहित लगभग 26.4 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)- यह योजना घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने, गुणात्मक रूप से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैले आईटीआई के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा और भविष्य की जनशक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कारीगरों को तैयार कर रही है। अब तक देशभर में 10.56 महिलाओं समेत कुल 79.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्तमान में, देश भर में स्थित लगभग पंद्रह हजार आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनकी कुल क्षमता 26.58 लाख है।

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (एवीटीएस)- योजना के तहत एक से छह सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक मॉड्यूल पाठ्यक्रमों के माध्यम से चयनित कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। 3.5 लाख से अधिक औद्योगिक श्रमिकों/तकनीशियनों ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम- इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु समूहों में रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करने वाली महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसे महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में मुख्यधारा में लाने के लिए डिज़ाइन

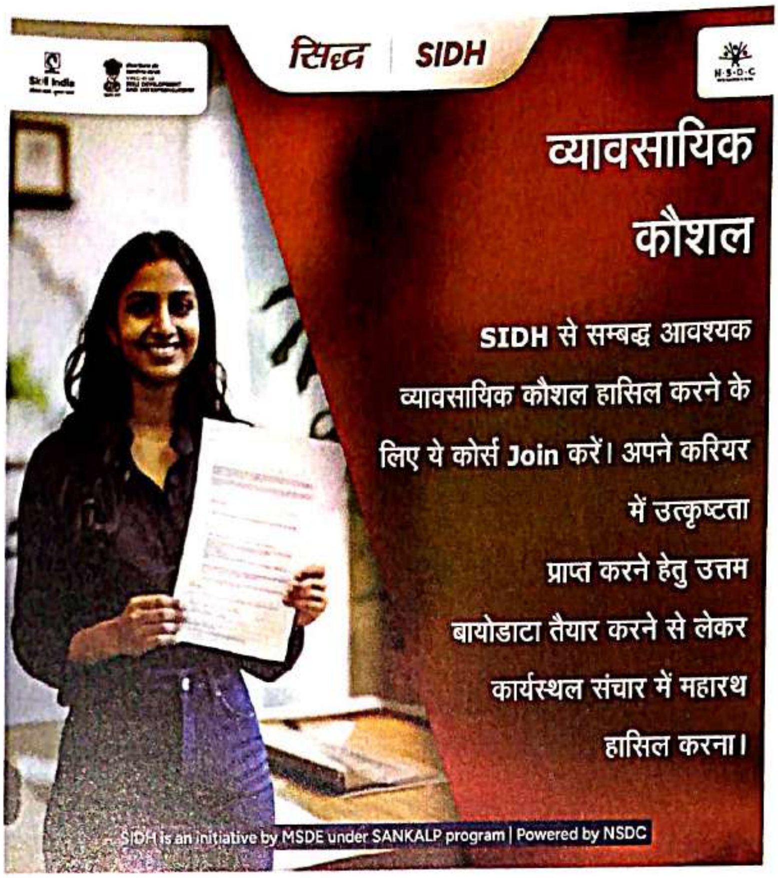

किया गया है। इस परियोजना के तहत महिलाओं के लिए उपयुक्त मांग-संचालित अल्पकालिक पाठ्यक्रम, आवश्यकता अनुरूप विकसित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक उद्यमों की पहचान और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना - यह प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है और प्रशिक्षुओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। देश भर में लगभग 30 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) - विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस योजना का उद्देश्य संस्थानों को मजबूत करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना, बेहतर बाज़ार कनेक्टिविटी लाना और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करना है। 'संकल्प' केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास कार्यक्रम का गुणवत्ता आश्वासन और कौशल विकास कार्यक्रमों में हाशिए पर रहने वाली आबादी को शामिल करना सुनिश्चित करता है।

स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच)- एसआईडीएच कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रजिस्ट्री ढांचे के रूप में शिक्षा से कौशल और भविष्य के अवसरों तक एक सुचारू परिवर्तन को सक्षम बनाता है। एसआईडीएच विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में विवरण प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित पेशेवरों की खोज करने की अनुमति देता है। यह भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अत्याधुनिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं की नियुक्ति में तेजी लाना, आजीवन सीखने और कैरियर में उन्नति की सुविधा प्रदान करना है।

पीएम विश्वकर्मा-योजना का उद्देश्य अपने पारंपरिक व्यवसाय/पेशे को करने वाले विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यवसाय का विस्तार करने और उनके लिए सम्मान, क्षमता और गरिमा लाने के लिए क्रेडिट सहायता प्रदान करना है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा नोडल योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), तथा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

कौशल ऋण योजना - यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता के अनुरूप व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करती है।

कौशल विकास के लिए विभिन्न एजेंसियां

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपने प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (NSDF) और 37 सेक्टर कौशल परिषदों (SSCs) के साथ-साथ 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई/एनएसटीआई (डब्ल्यू), डीजीटी के तहत संचालित लगभग 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 187 प्रशिक्षण भागीदार एनएसडीसी के साथ-साथ कौशल विकास का कार्य करता है। NSDC सेक्टर कौशल परिषदों (SSC) और अभियानों, मेलों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के

माध्यम से हितधारक क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन और पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंटर के माध्यम से वैकल्पिक ट्रेडों में प्रशिक्षुता को लागू करने, निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) कौशल शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की घटक इकाई है जो परिणाम आधारित सीखने के पाठ्यक्रम विकसित करने, पाठ्य पुस्तकों का डिज़ाइन और प्रकाशन, ई-सामग्री मॉड्यूल एवं निर्देशात्मक सामग्री निर्माण और कौशल प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण में राज्यों की सहायता के साथ अनुमोदित रोज़गार भूमिका के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता बढ़ाना सुनिश्चित करता है।

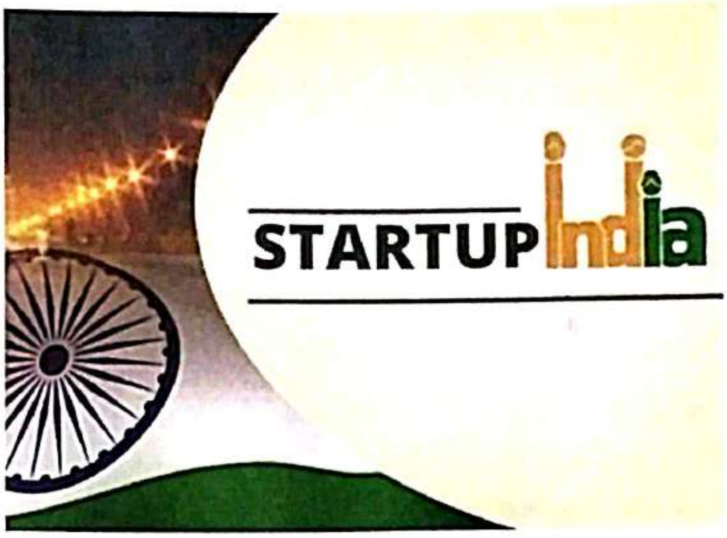

उद्यमिता विकास

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने, देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मज़बूत इको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य नवाचार और डिज़ाइन के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। चूंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को फंडिंग समर्थन की आवश्यकता होती है इसलिए 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंडअप इंडिया योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। व्यापार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) और कम से कम प्रति बैंक शाखा एक महिला उद्यमी को सहायता का लक्ष्य रखा गया। ये पहल प्रेरणा, सरलीकरण, वित्तपोषण सहायता और उद्योग-अकादमिक भागीदारी के माध्यम से देश में उद्यमिता के माहौल को बढ़ावा देती हैं। नीति आयोग के स्वरोज़गार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलों द्वारा देश में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

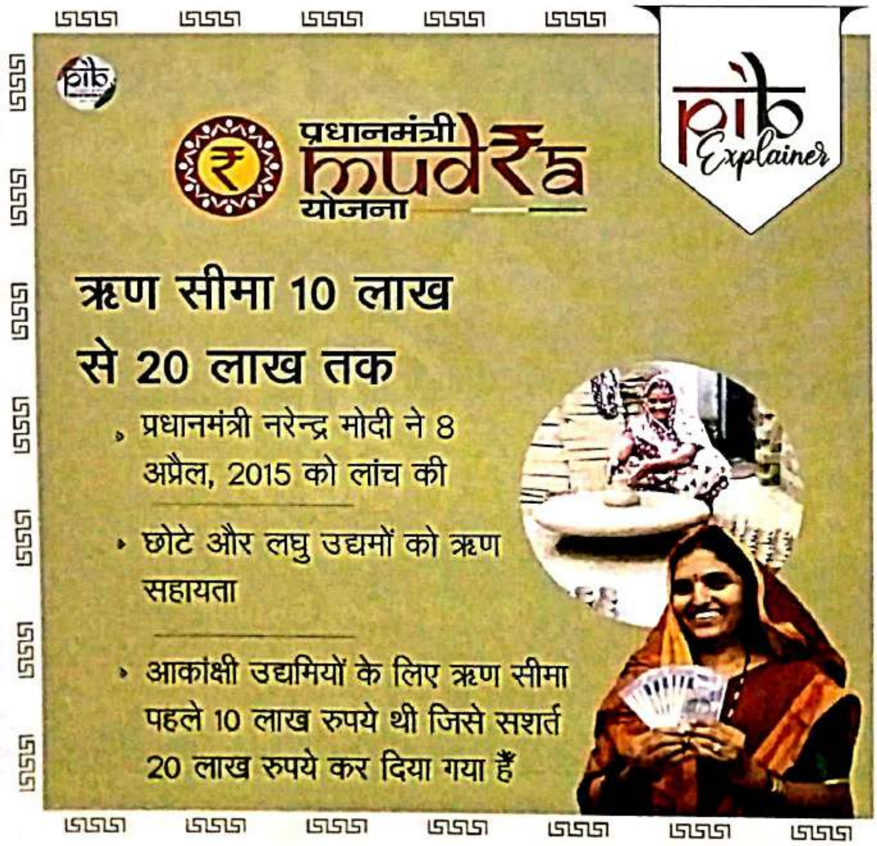

भास्कर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री)- भास्कर की कल्पना एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है,जहां विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारक निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। यह पूरे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और सफलता को उत्प्रेरित कर सकता है। कनेक्शन, ज्ञान साझाकरण और खोज क्षमता के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करके भास्कर उद्यमियों और पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों को उनकी यात्रा के प्रत्येक चरण में सशक्त बनाता है, ताकि नवाचार की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके जिससे भारत को वैश्विक उद्यमिता में सिरमौर बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) - यह योजना सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग प्रदान करती है।

योजना के तहत विनिर्माण,व्यापार या सेवा क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में आय पैदा करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं। यह योजना सूक्ष्म और लघु संस्थाओं की गैर-कृषि एवं गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र की आय सृजनात्मक गतिविधियों हेतु सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

भारत में कौशल कार्यबल का प्रतिशत अभी भी अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान परिदृश्य में जॉब मार्केट की लगातार बदलती प्रकृति के चलते और निरंतर बदलती प्रौद्योगिकी के साथ स्किलिंग और अपस्किलिंग और यहां तक कि आजीवन निरंतर सीखने के लिए आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। कौशल विकास से भारत की जीडीपी में काफी बढ़ोतरी होगी। कामकाजी आयु वर्ग के 65 प्रतिशत युवा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। एमएसडीई विज़न 2025 में भी भारत को उच्च-कौशल केंद्र में बदलने और व्यक्तियों, उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम बनाने में मदद करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

हमारे शैक्षिक परिदृश्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बदल दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा स्कूल प्रणाली में कम से कम एक कौशल को सीखते हुए बढ़े। विभिन्न कौशल विकास पहलों ने विविध क्षेत्रों में 1.37 करोड़ से अधिक युवाओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया। यद्यपि व्यावसायिक शिक्षा की सामाजिक स्वीकार्यता, जटिल श्रम कानून, बदलती प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशिक्षकों की खराब गुणवत्ता, कौशल का मानकीकरण इस क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां हैं, हालांकि हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश, सक्षम सरकारी पहल और लोगों की भागीदारी देश को सबसे अधिक सक्षम बनाने का महान अवसर प्रस्तुत करती है। दुनिया में कुशल राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इन सभी उपायों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। ❑

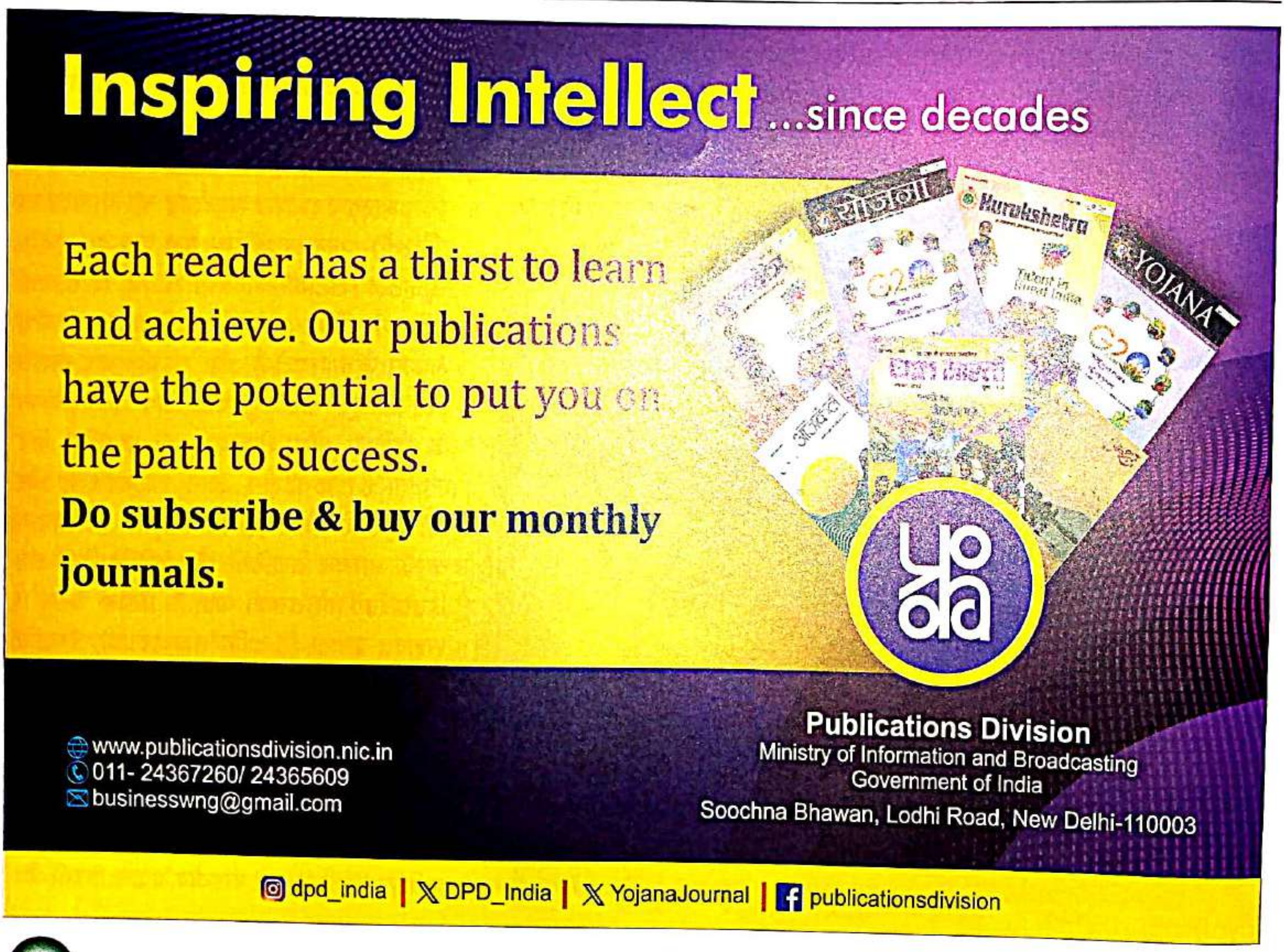

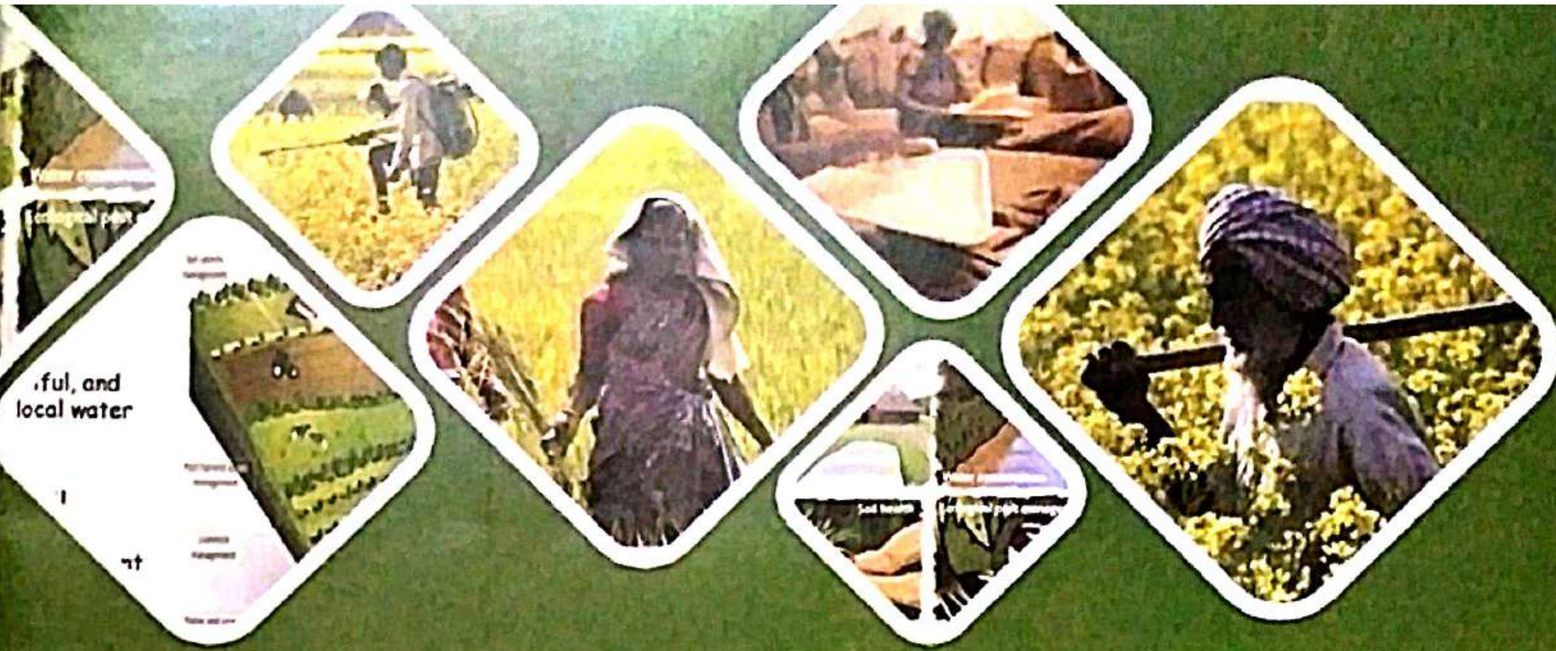

किसानों के कौशल विकास में है कृषि का उज्ज्वल भविष्य

*भुवन भास्कर

किसानों का कौशल विकास न सिर्फ भारतीय कृषि और कृषकों के लिए एक शानदार अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि युवा उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन कारोबारी अवसर भी लेकर आ रहा है। भारत में जिस गति से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों (एग्री स्टार्टअप) की संख्या लगातार बढ़ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि किसानों के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को निजी क्षेत्र और पूंजी का उत्साहपूर्ण समर्थन हासिल हो रहा है।

भारत के एक कृषि प्रधान देश होने की श्रुति सदियों पुरानी है। लेकिन विडंबना यह है कि कृषि और किसानों का संदर्भ अक्सर गैर-प्रशिक्षित श्रम और निरक्षरता के आरोपन के लिए किया जाता है किंतु ऐसा हमेशा से नहीं था। प्राचीन भारतीयों को कृषि कार्यों में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग की गहन जानकारी थी। पाराशर ऋषि एक कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने खेती की बारीकियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं। करीब 2000 वर्ष पहले लिखी उनकी पुस्तक 'कृषि पाराशर' में उन्होंने सही तरीके से और सही समय पर बीजारोपण, सिंचाई इत्यादि प्रक्रिया अपना कर अच्छी उपज लेने से जुड़े सूत्रों का उल्लेख किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसाचुसेट्स के एक रिसर्च पेपर में इस ग्रंथ के अलावा पाराशर ऋषि द्वारा रचित कृषिकाण्डम का भी उल्लेख मिलता है। इसी संस्थान ने पहले वृक्षायुर्वेद नामक एक संस्कृत पुस्तक भी प्रकाशित की थी, जिसके लेखक सुरपाल थे। हालांकि इससे बहुत पहले वराहमिहिर भी अपनी वृहद्संहिता में वृक्षायुर्वेद लिख चुके थे।

महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने कृषि उत्पादों और पशु धन प्रबंधन पर कई नियम बनाए हैं। ऐसे ग्रंथों और प्राचीन भारतीय कृषि विज्ञानियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। स्पष्ट है कि विदेशी हमलावरों के आने के बाद धीरे-धीरे भारतीय कृषि से ज्ञान-विज्ञान का लोप होता गया और अंग्रेज़ों के काल में भयावह करों, लगातार भुखमरी और शोषण ने इसे अशिक्षितों, मजबूरों और बेचारों के जीवनयापन का एकमात्र माध्यम बना दिया।

इसका प्रत्यक्ष नुकसान यह हुआ कि भारतीय कृषि से नवाचार और निवेश दोनों का लोप होता चला गया और किसान एक ही ढर्रे पर चलते हुए, उत्पादकता और प्रयोगधर्मिता, दोनों से दूर हो गए। फिर आजादी के बाद 1960 के दशक में जब हरितक्रांति की शुरुआत हुई, तब एक बार फिर कृषि को विज्ञान

***लेखक कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। ई-मेल :** bhaskarbhuwan@gmail.com

से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हरितक्रांति की पूरी योजना बढ़ती जनसंख्या, भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याओं की पृष्ठभूमि में बनाई गई, तो जल्दी परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से भारत ने पश्चिम का रेडीमेड फॉर्मूला अपनाया और सरकारी सब्सिडी तथा रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के भरोसे उत्पादन बढ़ाने की एकांगी दृष्टि से कृषि में विज्ञान का समावेश किया गया।

आज हरितक्रांति के लगभग छह दशकों के बाद भारतीय कृषि कुछ दूसरी ही तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें से कई की जड़ें उसी तथाकथित क्रांति के इतिहास में धंसी हैं। इन समस्याओं में सबसे गंभीर है रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी का स्वास्थ्य बर्बाद हो जाना, भू-जल स्तर का तेजी से नीचे जाना और कई राज्यों में तो शून्य के स्तर के निकट पहुँच जाना, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलना और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर के कारण उत्पादकता में कमी। ये समस्याएं ऐसी हैं, जिनका हल हर किसान के स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर और कृषि कार्यों में तकनीक का प्रयोग बढ़ाकर ही किया जा सकता है। यानी भविष्य की कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसानों की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि किसानों का कौशल विकास (स्किलिंग) हो और उनके भीतर कारोबारी टेम्परामेंट का निर्माण किया जा सके।

किसानों का कौशल विकास न सिर्फ भारतीय कृषि और कृषकों के लिए एक शानदार अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि युवा उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन कारोबारी अवसर भी लेकर आ रहा है। भारत में 31 दिसंबर, 2023 तक कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों (एग्री स्टार्टअप) की संख्या 2800 थी (स्टार्टअप इंडिया डाटाबेस) जो इस बात का प्रमाण है कि कृषि में किसानों के स्तर पर जाकर काम करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को निजी क्षेत्र और पूंजी का उत्साहपूर्ण समर्थन हासिल हो रहा है। कृषि में कौशल विकास का महत्व कई कारणों से हैः

तकनीकी विकास : ऑटोमेशन, डाटा एनालिटिक्स, प्रेसीजन फार्मिंग इत्यादि ने कृषि में कौशल विकास की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया है। कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल का पूरा फायदा तभी हो सकता है जब किसान स्वयं इनका सही उपयोग करना सीखें।

टिकाऊ तौर-तरीके (सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज) : जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक है कि कृषि गतिविधियों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को केंद्र में रखा जाए। इसके लिए किसान और कृषि कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों को रिजेनेरेटिव प्रैक्टिसेज, एग्रोइकोलॉजी और टिकाऊ खेती के तौर-तरीकों में कुशलता लाना अत्यंत आवश्यक है।

कौशल की कमी : आधुनिक दौर की खेती में भले ही तकनीक और योग्यता का महत्व बहुत बढ़ चुका हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के बहुसंख्य किसान आज भी पारंपरिक तरीकों से ही खेती कर रहे हैं। वे कृषि के सामने मौजूद चुनौतियों से बेखबर और अवसरों से अनजान हैं। इस अंतर को पाटने के लिए कृषि क्षेत्र में तेजी से कौशल विकास की आवश्यकता है।

कृषि में रोज़गार : कृषि को रोज़गार के माध्यम की जगह मजबूरी माना जाता है, जिस पर अनावश्यक बोझ है। लेकिन यह स्थिति इसलिए है क्योंकि एक ही खेत पर काम करने वाले कई लोग एक ही काम को एक ही तरीके से करते हैं। इनमें कई ऐसे भूमिहीन किसान हैं, जिनके लिए कृषि दरअसल मजदूरी का ही एक अन्य ठौर है। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। कौशल विकास से कृषि कार्य में ऐसे लोगों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे रोज़गार देने में कृषि की क्षमता

का विस्तार होगा।

कृषि में कौशल विकास के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे कुछ कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार हैः

✓ महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)

✓ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

✓ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (PMFME)

✓ सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइज़ेशन (SHAM)

✓ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

भारतीय कृषि परिदृश्य में महिला किसानों का विशेष महत्व है। ग्रामीण भारत की महिलाओं में लगभग 80 प्रतिशत किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कार्य में लगे श्रमिकों में जहां 33% महिलाएं हैं, वहीं स्व-नियोजित कृषि उद्यमियों में 48% हिस्सेदारी महिलाओं की है। ये महिलाएं मिलकर देश के कुल खाद्य उत्पादन का 60-80% देती हैं। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों में महिला किसानों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से कृषि कार्य में लगी महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में जीविका, मध्य प्रदेश में महिला लखपति स्कीम, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना उदाहरण हैं कि किस प्रकार सरकार महिलाओं की क्षमता और कौशल बढ़ाने के लिए SHG और FPO का उपयोग कर रही है।

इनके साथ ही पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) को क्रियान्वित किया गया है, जो देश में किसानों के अनुकूल विकेंद्रित एक्सटेंशन सिस्टम को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी

और खेती में बेहतर तौर-तरीकों के इस्तेमाल की जानकारी किसानों तक पहुँचाने में राज्य सरकारों की मदद की जाती है। वर्ष 2020-21, 2022-23 और 2023-24 में नवंबर तक 48.07 लाख किसानों ने ATMA के तहत प्रशिक्षण हासिल किया है। सरकार किसानों में जागरूकता बढ़ाने और उनको सक्षम बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से किसानों के समक्ष कृषि टेक्नोलॉजी के आंकलन और प्रदर्शन की व्यवस्था कर रही है। केवीके किसानों, कृषि कार्य में लगी महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को खेती और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत जुलाई 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। यह पाठ्यक्रम भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (NTIs), राज्यों के कृषि प्रबंधन एवं एक्सटेंशन प्रशिक्षण संस्थानों (SAMETIs), केवीके और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर तैयार किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत MSDE द्वारा 31 अक्टूबर, 2023 तक कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में 9.72 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका था।

सरकार ने 2015 में ग्रामीण युवाओं के लिए एक लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया, जो एक दिन के लोकल ट्रेवल सहित 7 दिनों तक चलता है। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (STRY) नाम के इस कार्यक्रम के तहत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में उनकी जानकारी को इस तरह उन्नत किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार को प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि एक्सटेंशन प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान (MANAGE) राज्य कृषिगत प्रबंधन एवं एक्सटेंशन प्रशिक्षण संस्थानों (SAMETIs), ATMA और KVIK के साथ मिलकर ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को क्रियान्वित कर रहा है।

बागवानी की विभिन्न फसलों के लिए बागवानी समेकित विकास मिशन (MIDH) के तहत बागवानी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त एक और ऐसा माध्यम हैं, जहां किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन केंद्रों में अक्टूबर 2023 तक 3.60 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका था। प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) के क्रियात्मक दिशानिर्देशों में राज्यों द्वारा किसानों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा एक्सपोज़र विज़िट कराने का प्रावधान किया गया है।

एग्रीकल्चरल मैकेनाइज़ेशन पर सब-मिशन (SMAM) में 'प्रशिक्षण, जांच और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि में मशीनीकरण का सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन' नाम का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में मशीनीकरण के लिए कौशल विकास करना है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 (नवंबर 2023 तक) तक कृषि में मशीनीकरण के विभिन्न आयामों पर 52,080 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया जिससे उन्हें अपना कौशल स्तर बढ़ाने में मदद मिली।

सरकार ने हाल ही में 1,261 करोड़ रुपये का फंड बनाकर महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम को सहमति दी है। इस योजना के तहत 15,000 चुनिंदा महिला SHGs को ड्रोन चलाने के प्रशिक्षण के साथ ड्रोन भी दिए जाएंगे, जो वे खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगी। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)

के तहत PM फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ (PMFME) में किसानों, SHGs, FPOs और को-ऑपरेटिव्स को 3 दिन या 24 घंटे का खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 नवंबर, 2023 तक PMFME योजना के अंतर्गत कुल 54,767 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

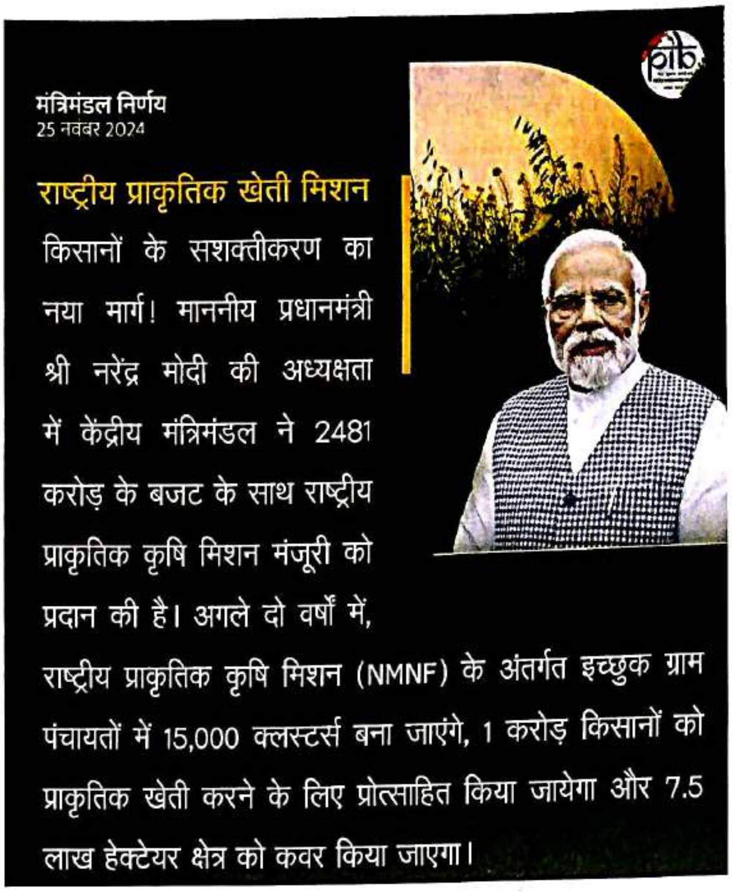

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत ड्रोन के इस्तेमाल, प्राकृतिक खेती, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज़, जैविक खेती, मोटे अनाजों, वैल्यू चेन के विकास, सूक्ष्म सिंचाई, पशुधन प्रबंधन, मछली पालन और गैर-लकड़ी वनोपज के वैज्ञानिक विधि से संग्रह के लिए SHGs और किसानों के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत उपरोक्त गतिविधियों में 1,94,057 कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस को प्रशिक्षित किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 12,500 एक्वाकल्चर किसानों और मरीन कैप्चर मछुआरों को ट्रेनिंग दी है। सरकार ने 2024-25 तक प्राकृतिक खेती में एक करोड़ किसानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के प्रयासों ने भी कृषि में कौशल विकास को नई गति दी है। एग्री स्टार्टअप कंपनियों का मॉडल ऐसा होता है, जिसमें एक तो तकनीक को केंद्र में रखा जाता है, दूसरी ओर, ये कंपनियां किसानों के साथ सीधे काम करती हैं। इसलिए किसानों का तकनीक और मशीनों का उपयोग सीधा व्यवहार में आता है और उनमें कुशलता और क्षमता बढ़ती है। लेकिन क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कहीं न कहीं अपने कारोबारी हित प्रमुख होते हैं, तो किसानों का कौशल विकास एक तार्किक परिणति तक नहीं पहुँच पाता है।

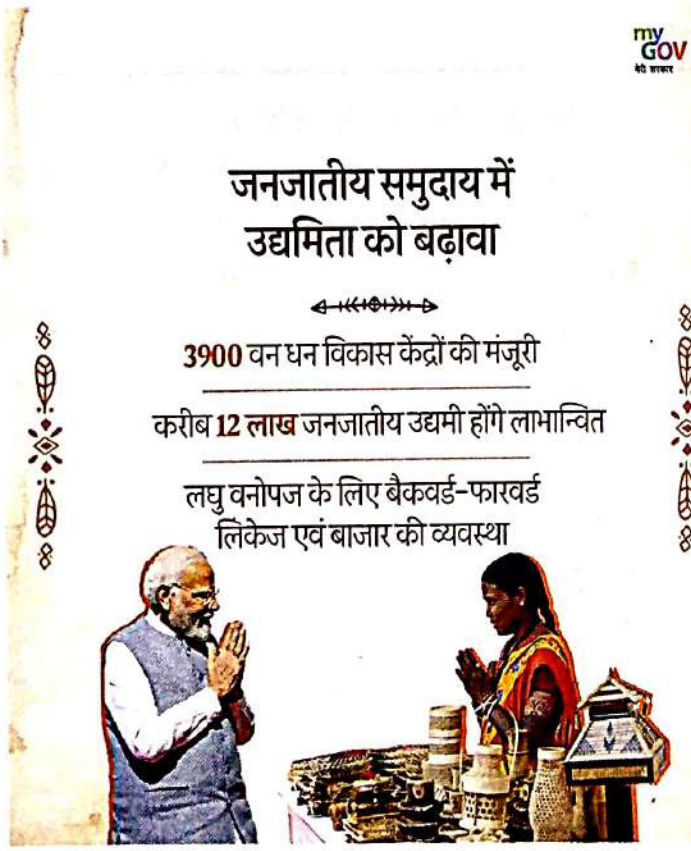

अभी आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग के साथ किसानों का कौशल विकास हो। भारत में कृषि अनुसंधान का बुनियादी ढांचा दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी मज़बूत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 97 संस्थानों, 53 कृषि विश्वविद्यालयों, 18 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों, 25 परियोजना निदेशालय, और 89 अखिल भारतीय शोध परियोजनाओं के साथ यह इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम भारतीय किसानों की कुशलता को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है। लेकिन विडंबना है कि इतने मज़बूत तंत्र के बावजूद भारतीय कृषि में योग्य और वैज्ञानिक समझ वाले पेशेवर किसानों की भारी कमी है। इस कमी को निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर दूर कर सकते हैं और इस सहयोग से ही भारतीय कृषि का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। ❑

कौशल भारत :
कार्यबल के सशक्तीकरण की ओर

भारत दुनिया की कौशल राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक भारत 'रोज़गार योग्य' कौशल और उद्योग-तैयार कार्यबल के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को महत्वपूर्ण अवसर में बदल सकता है। जैसे-जैसे भारत कौशल राजधानी बनने की अपनी यात्रा को निरंतर जारी रख रहा है, वैसे-वैसे विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और नीतियां देश को एक कुशल, रोज़गार योग्य और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की ओर ले जा रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई केंद्रीय योजना का शुभारंभ किया गया, जो राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन करना है।

इसके अतिरिक्त, मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित करने की भी घोषणा की गई जिसके तहत सरकार-समर्थित गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। जो छात्र मौजूदा योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं, उनके लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹ 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और ई-वाउचर के माध्यम से हर साल एक लाख छात्रों को 3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024

"बजट 2024-25 में पहली बार घोषित इस योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष कंपनियों में युवाओं के लिए एक करोड़ इंटर्नशिप के अवसर सृजित करना है।"

युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक मुख्य पहल है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को व्यापक इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। बजट 2024-25 में घोषित इस पहल के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी ताकि युवा व्यावसायिक वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें और शैक्षणिक अध्ययन और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाट सकें।

3 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई इस पॉयलट परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख

इंटर्नशिप प्रदान करना है, जिसमें कंपनियों का चयन उनके सीएसआर व्यय के आधार पर किया गया है। यह योजना मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से रोजगार योग्यता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना का पोर्टल उम्मीदवारों के लिए 12 अक्टूबर, 2024 को खोल दिया गया है।

पात्रता

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

1. आयु : आवेदनकर्ता की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे भारतीय नागरिक होने चाहिए, पूर्णकालिक रोजगार में नहीं होने चाहिए और पूर्णकालिक शिक्षा में भी नामांकित नहीं होने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

2. शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवारों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा किया होना चाहिए या आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि जैसी स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मॉडल के तहत व्यापक सहायता और लाभ प्रदान करती है। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. मासिक सहायता : इंटर्स को 12 महीनों के लिए प्रति माह ₹ 5,000 प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर फंड के माध्यम से और 4,500 रुपये सरकार द्वारा इंटर्न के आधार लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

2. सहायक खर्च के लिए अनुदान : प्रत्येक इंटर्न को उनके इंटर्नशिप स्थल पर शामिल होने पर सरकार द्वारा 6,000 की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

3. प्रशिक्षण खर्च : योजना के तहत इंटर्न के प्रशिक्षण से संबंधित खर्च कंपनी द्वारा सीएसआर फंड से वहन किए जाएंगे।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024

विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तीकरण
एक करोड़ युवाओं को कौशल संपन्न बनाने का विजन

शुरु होने की तारीख : 3 अक्टूबर, 2024

इंटर्नशिप लाभ : 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका

मासिक वजीफा : चुने गए उम्मीदवारों को 5000 रुपये

उम्मीदवारों के लिए पोर्टल खुलने की तारीख : 12 अक्टूबर, 2024

कवर किए गए क्षेत्र : विनिर्माण, सेवाएं और अन्य

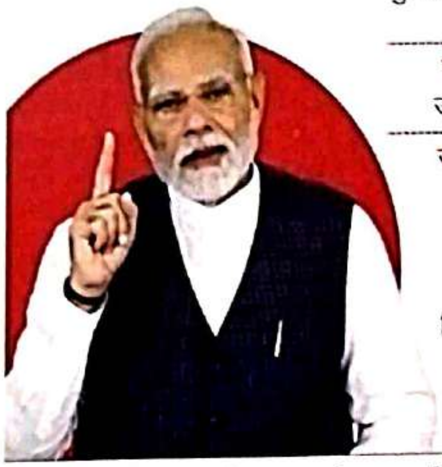

4. बीमा कवरेज : प्रत्येक इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह पहल प्रत्यक्ष उद्योग अनुभव और व्यावहारिक नौकरी अनुभव के माध्यम से रोजगार योग्यता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

वैश्विक मानकों पर भारत का कौशल

वैश्विक मानकों पर कौशल विकास में भारत के प्रयास रणनीतिक पहलों के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, जैसे कि कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र (SIIC) और सरकार-से-सरकार (G2G) समझौतों के तहत साझेदारियां। वित्तीय वर्ष 2024 के अंतरिम बजट में घोषित 30 SIICs की स्थापना भारत के वैश्विक कौशल प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, वाराणसी और एसडीआई, भुवनेश्वर में संचालित केंद्र इस पहल की शुरुआती सफलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और पहले चरण में सात और केंद्र स्थापित करने की योजनाएं अंतिम रूप में हैं।

इसके अलावा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, यूएई और यूके जैसे प्रमुख देशों के साथ सूचना आदान-

ग्राफ : विश्व कौशल में भारत का स्थान

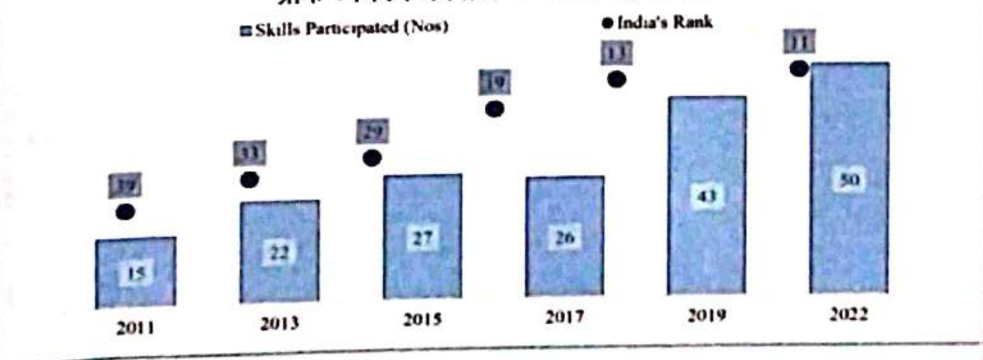

Source: MSDE Annual Report 2022-23

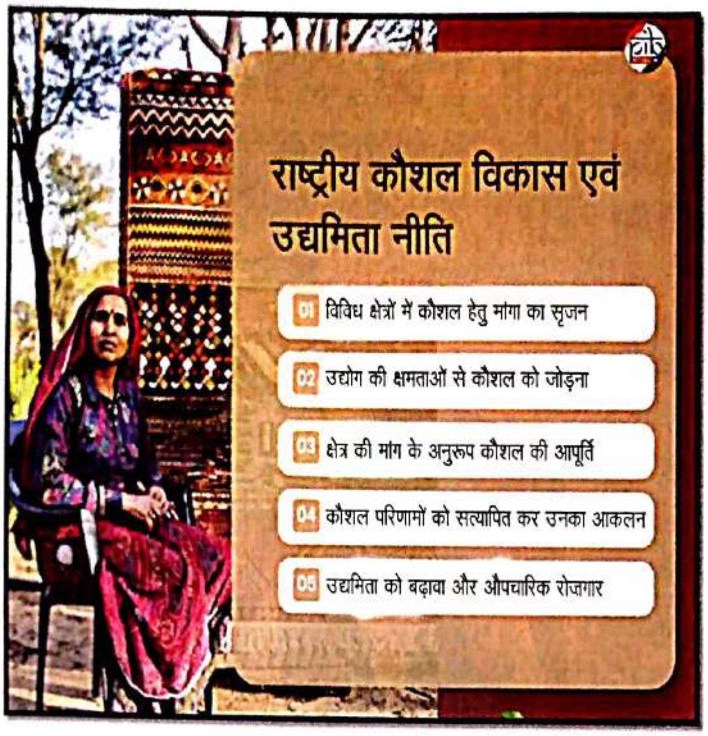

प्रदान, मानक निर्धारण, योग्यता की पारस्परिक मान्यता आदि में सहयोग के लिए समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी साझेदारियां न केवल अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि भारतीय योग्यताओं की वैश्विक पहचान को भी प्रोत्साहित करती हैं।

2021 में स्थापित NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय कुशल कार्यबल की नैतिक और पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय भर्ती के लिए कार्यरत है। यह कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय मिशन को सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, और आतिथ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत 20 NSDC से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों और 12 भाषा प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल की गई है। इन प्रयासों के तहत अब तक 26,000 से अधिक कुशल उम्मीदवारों को विभिन्न देशों में तैनात किया गया है।

कौशल विकास के हर क्षेत्र में हुई प्रगति का प्रमाण भारत की विश्व कौशल प्रतियोगिताओं में बढ़ती रैंकिंग है, जो हर दो साल में आयोजित होती हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (NPSDE)

इस नीति का मकसद, गति, दक्षता, और स्थिरता के साथ कौशल लक्ष्यों को हासिल करना है। इस नीति के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देकर नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। समानता को प्राथमिकता देते हुए, यह हाशिए पर रहने वाले समूहों को लक्षित करती है और महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देती है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में, यह नीति संभावित उद्यमियों को शिक्षित करती है, मार्गदर्शन की सुविधा देती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, व्यापार करने में आसानी बढ़ाती है और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संयोजन में भारत में शिक्षा-रोजगार अंतर को पाटने की ज़बर्दस्त क्षमता रखती है।

भारतीय कौशल संस्थान (IIS) - भारत के कौशल विकास प्रयासों का एक और मुख्य स्तंभ भारतीय कौशल संस्थान (IIS) हैं। IIS की स्थापना का उद्देश्य विश्व-स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण करना है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कौशल संस्थानों के सर्वोत्तम तरीकों से सीखकर और उन्हें अपना कर विकसित किया गया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में एक भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया गया। IIS को उद्योग 4.0 के लिए कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कौशल सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और रोबोटिक्स जैसे उभरते उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य कार्यक्रमों के साथ अन्य पाठ्यक्रम

IIS उद्योग भागीदारों के साथ साझेदारी में लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। इनमें फनुक इंडिया (Fanuc India) के साथ औद्योगिक रोबोटिक्स और ताज स्काईलाईन

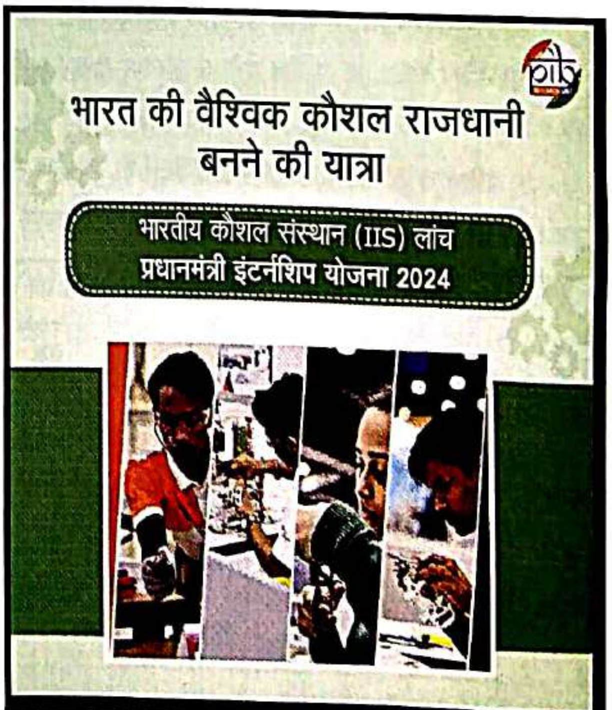

(Taj Skyline) के साथ पाक कला प्रशिक्षण जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। उन्नत पाठ्यक्रम और मजबूत औद्योगिक संबंधों का संयोजन IIS को कौशल विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित करता है।

कौशल विकास के लिए उद्योग जगत के साथ साझेदारी

किसी भी बड़े पैमाने के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए उद्योग कनेक्शन महत्वपूर्ण है, जो समकालीन प्रासंगिकता और रोजगार क्षमता को सक्षम बनाता है। साथ ही, उद्योग जगत में नए कुशल कार्यबल की मांग का पता लगाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, स्किल इंडिया मिशन कौशल विकास रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) द्वारा संचालित साझेदारी के जरिये उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। मार्च 2024 तक (प्रारंभिक तिथि जोड़ी जाएगी), एनएसडीसी द्वारा 131 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 62 कॉर्पोरेट संगठनों ने 42 आकांक्षी जिलों सहित देश भर में 3.10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है।

वर्ष 2021 में आरंभ स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड कौशल विकास, नौकरी प्लेसमेंट और रिटेंशन के लिए निजी क्षेत्र के फंड और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिए अभिनव और परिणाम-आधारित वित्त तंत्र - विकास प्रभाव बॉन्ड 99 मॉडल का लाभ उठाता है। NSDC और उसके गठबंधन सहयोगियों की इस पहल का लक्ष्य चार वर्षों में चयनित और निगरानी वाले NSDC -संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 60% महिलाएं हों। नवंबर 2021 और मार्च 2024 के बीच, 29,365 उम्मीदवारों को पांच समूहों में नामांकित किया गया है। 23,464 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है, 19,209 को नौकरी पर रखा गया है और 13,853 ने नौकरी बनाए रखने की सूचना दी है। कार्यक्रम में अब तक 74% महिलाओं को नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग की तैयारी को बढ़ाने के लिए अपने उद्योग भागीदारी ढांचे के तहत कई प्रभावशाली सहयोग शुरू किए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी छत्तीसगढ़ और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ लचीली एमओयू योजना के माध्यम से मार्च 2019 से लगभग 9,600 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) ने 2022 सत्र के दौरान 978 आईटीआई के 37,865 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष कार्यस्थल अनुभव प्रदान किया। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एडोब और अमेज़ॅन वेब सर्विसेज सहित तकनीकी दिग्गजों के साथ सहयोग ने नवंबर 2019 और मार्च 2024 के बीच उद्योग 4.0 के लिए 21.5 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त, NSTI ने इसरो, ओएनजीसी, भारतीय रेलवे, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल शिप डॉकयार्ड और बीएचईएल के साथ कौशल पहल की है, जो वित्त वर्ष 24 में लगभग 1,400 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। डीजीटी ने डसॉल्ट, पिडिलाइट, जगुआर, स्कोडा, एचएएल और सीमेंस जैसे

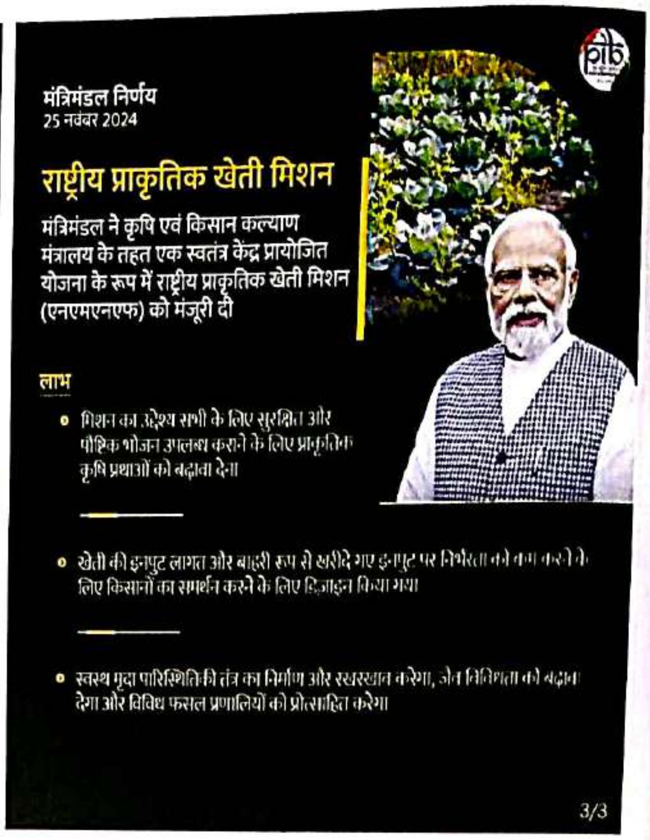

साझेदारों के साथ एनएसटीआई/आईटीआई के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना जारी रखा है, जिससे सभी क्षेत्रों में उद्योग-प्रासंगिक कौशल विकास सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्षतः जब भारत अपने कौशल अंतर के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, सरकार की सक्रिय पहल ने इस अंतर को पाटने की दिशा में ठोस प्रगति प्रदर्शित की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना जैसे कार्यक्रमों ने सामूहिक रूप से लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है, समावेशिता को बढ़ावा दिया है और पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाया है।

स्किल इंडिया डिजिटल हब का शुभारंभ और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी और वैश्विक साझेदारी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये प्रयास न केवल उद्योगों में मौजूदा प्रतिभा की कमी को दूर करते हैं बल्कि तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए भारत के युवाओं को तैयार भी करते हैं। आगे बढ़ते हुए, सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच निरंतर निवेश और सहयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक युवा भारतीय की गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच हो, जिससे भारतीय आबादी की कौशल क्षमताओं का पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

संक्षेप में, भारत सरकार की पहल ने कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। निसंदेह एक गतिशील, समावेशी और भविष्य हेतु पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत अपनी जनशक्ति की क्षमता का उपयोग करने, सतत आजीविका सृजित करने और राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए बेहतर स्थिति में है। ❑

स्रोत : पीआईबी, भारत सरकार

तकनीक के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास

*राशि शर्मा

भारत, जिसकी युवा आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धात्मक और डिजिटल-प्रथम दुनिया के लिए अपने युवाओं को तैयार करने की चुनौती का सामना कर रहा है। जैसे-जैसे तकनीक आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की नींव बनती जा रही है, युवाओं को डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो गया है। यह भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास का महत्व वैश्विक श्रम बाज़ार में तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण तेज़ी से बढ़ा है। यह अवधारणा पारंपरिक शिक्षा से परे जाती है, जिसमें 'सॉफ्ट स्किल्स' (जैसे टीम वर्क, संवाद, और नेतृत्व) और 'हार्ड स्किल्स' (जैसे कोडिंग, मशीन संचालन, और तकनीकी समस्या समाधान) सिखाने के लिए प्रशिक्षण, पुनःप्रशिक्षण और उन्नयन पहल शामिल हैं।

'कौशल विकास' का अर्थ है लोगों का कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाना ताकि उनकी नौकरी की संभावनाएं, उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार हो सके। इसमें बच्चों और वयस्कों के लिए बुनियादी से लेकर उन्नत और विशिष्ट तकनीकी कौशल तक शामिल करता है, जो बदलते कार्य बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं।

यूनेस्को के 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए शिक्षा' में कौशल विकास पर जोर दिया गया है ताकि गरीबी कम हो, सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिले, और बच्चों और वयस्कों को बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्थक उत्पादक कार्य के लिए तैयार किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) आर्थिक लचीलेपन और गरीबी उन्मूलन के लिए कौशल विकास पर बल देता है, जिससे लचीली और उत्तरदायी श्रम बाज़ार संरचनाओं को बढ़ावा मिलता है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) कौशल विकास को चौथी औद्योगिक क्रांति से जोड़ता है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, समस्या समाधान और कार्पोरेट की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर किया गया है।

*लेखिका डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार में उपमहानिदेशक हैं। ई-मेलः rashi.edu@gov.in

विश्व आर्थिक मंच की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट' उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और कौशल अंतराल को पाटने के लिए अपस्किलिंग और रिस्किलिंग की सिफारिश करती है। विश्व बैंक कौशल विकास को मानव पूंजी विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है, ताकि गरीबी कम हो और सामाजिक परिणामों में सुधार हो।

विकास का महत्व

भारत, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक माना जाता है, की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। चौथी औद्योगिक क्रांति उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं को बदल रही है, जिससे भारत के युवाओं पर डिजिटल कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए कौशल विकास पहल की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग (ML), और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत उपकरणों और तकनीकों में दक्षता शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वचालन के उदय ने एक ऐसे कार्यबल की मांग उत्पन्न की है जो डिजिटल और तकनीकी कौशल में निपुण हो। शोध से पता चलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, और वित्तीय सेवाओं जैसे उद्योगों में जबर्दस्त वृद्धि हो रही है, जो लाखों ऐसी नौकरियां पैदा कर रही हैं जिनके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

नासकॉम के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत को 2025 तक तकनीकी सुधारों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए 14 लाख आईटी पेशेवरों का कौशल उन्नयन करना होगा। इसके अलावा, तकनीकी दक्षताएं केवल प्रौद्योगिकी पदों के लिए आवश्यक नहीं हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और विनिर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रासंगिक होती जा रही हैं। टेलीमेडिसिन के मुख्यधारा में आने से डॉक्टरों को अब डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों को समझना आवश्यक हो गया है। इसी तरह, शिक्षकों को भी डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए आधुनिक ई-लर्निंग पद्धतियों के साथ तालमेल बैठाना होगा।

'कौशल विकास' का तात्पर्य बहुआयामी दृष्टिकोण से है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को एक गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमताओं से सशक्त बनाना है। इसे वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान हेतु एक रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है:

युवाओं में बेरोज़गारी : उच्च युवा बेरोज़गारी दर, विशेष रूप से विकासशील देशों में, एक गंभीर चिंता का विषय है। कौशल विकास युवाओं को उत्पादक रोज़गार के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करता है।

तकनीकी विघटन : उद्योगों में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल और तकनीकी कौशल की मांग बढ़ गई है। श्रमिकों को तकनीकी प्रगति से उत्पन्न नई भूमिकाओं के लिए तैयार करने हेतु पुनःकौशल (reskilling) और उन्नयन (upskilling) आवश्यक है।

आर्थिक विकास और उत्पादकता : कौशलयुक्त कार्यबल किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। कुशल श्रम उत्पादकता बढ़ाता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है, और देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाता है।

सामाजिक समावेशन : कौशल विकास सामाजिक समावेशन का भी माध्यम है, जो हाशिये पर रहने वाले और वंचित जनसंख्या को कार्यबल में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है।

कौशल विकास में तकनीक की भूमिका

तकनीक ने कौशल विकास के क्षेत्र में नए, व्यापक और समावेशी समाधानों को लागू करके क्रांति ला दी है। भारत में, जहां पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण अक्सर मांग को पूरा करने में विफल रहते हैं, तकनीक तीन प्रमुख लाभ प्रदान करती है: व्यापकता, सुगमता, और अनुकूलन।

व्यापकता

भारत की युवा आबादी की विशालता को देखते हुए ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है जो लाखों लोगों को एक साथ प्रशिक्षित कर सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे Coursera, खान अकादमी, और भारतीय प्लेटफॉर्म SWAYAM एवं DIKSHA पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक दक्षताओं को एक साथ अनेक शिक्षार्थियों तक पहुँचाने की सुविधा देते हैं।

सुगमता

तकनीक भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को पार कर जाती है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को सीमित किया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट के विस्तार ने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया है। अनअकादमी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षा को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाते हैं।

ई-लर्निंग लचीलापन प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपनी गति से सीख सकते हैं और अन्य दायित्वों के साथ सीखने का सामंजस्य बैठा सकते हैं।

अनुकूलन और निजीकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स व्यक्तिगत कौशल, कमजोरियों और कैरियर के उद्देश्यों के अनुसार अनुकूलित सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं। TCS iON जैसे प्लेटफॉर्म AI-आधारित अनुशंसाओं, इंटरएक्टिव मॉड्यूल, और अनुकूल आंकलन (adaptive assessments) प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत सहायता मिले।

तकनीक-संचालित कौशल विकास के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार देश के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। समावेशी विकास सुनिश्चित करने और कौशल विकास में तकनीक का लाभ उठाने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं।

डिजिटल इंडिया अभियान

2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ऑनलाइन कौशल विकास के लिए आधार तैयार करता है। 2023 तक, 40 करोड़ से अधिक भारतीय डिजिटल साक्षरता अभियानों से लाभान्वित हुए हैं, जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के मुख्य तीन घटक निम्नलिखित हैं:-

- एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
- सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

स्किल इंडिया मिशन

2015 में शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करता है। Microsoft और Google जैसी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी ने कोडिंग, वेब विकास और साइबर सुरक्षा जैसे डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण की शुरुआत की। 2024 के बजट भाषण में, वित्तमंत्री ने जानकारी दी कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 54 लाख व्यक्तियों का अपस्किलिंग और रिस्किलिंग भी शामिल है।

अटल नवाचार मिशन

अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से सरकार ने छात्रों को 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती तकनीकों से परिचित कराया है। ये लैब्स व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और छोटी उम्र से ही समस्या समाधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है, जो अपने पाठ्यक्रम में डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करता है। इस योजना में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और ऐप डेवलपमेंट जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है।

बजट 2024-25 में कौशल विकास

केंद्रीय बजट 2024-25 शिक्षा, रोज़गार, और कौशल विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा करना है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य कौशल अंतर को पाटना, रोज़गार क्षमता बढ़ाना, और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है।

इस बजट की थीम के तहत वित्तमंत्री ने रोज़गार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत पांच पहल प्रस्तुत कीं, जिनके लिए अगले पांच वर्षों हेतु कुल 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन प्रयासों से लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लाभान्वित होने की संभावना है।

वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोज़गार, और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले आवंटन (1.13 लाख करोड़ रुपये) से 30% की वृद्धि को दर्शाता है।

पांच पैकेजों में से एक में एक व्यापक कार्यक्रम शामिल है जो पांच साल की अवधि में एक करोड़ युवाओं को 500 अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है। 21 से 24 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति जो न तो नौकरी करते हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा में नामांकित हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कार्यक्रम में 5,000 रुपये का मासिक इंटर्नशिप वज़ीफ़ा और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए बढ़े हुए वित्तीय आवंटन से इस ओर बढ़ा हुआ फोकस स्पष्ट है, जिसे 420 करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है) से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एक अन्य कार्यक्रम में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक आर्किटेक्चर के साथ संवर्धित करना शामिल है, जो कौशल अंतर को कम करने के लिए उनके पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ता है। इस पहल में 200 हब और 800 स्पोक आईटीआई की स्थापना शामिल है, जिसके लिए पांच साल की अवधि में कुल 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी, राज्य 20,000 करोड़ रुपये का

भुगतान करेंगे और उद्योग, सीएसआर धन सहित, 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।

हालांकि इन पहलों में भागीदारी की सकारात्मक दरें देखी जा रही हैं, लेकिन वास्तविक नौकरी प्लेसमेंट और दीर्घकालिक रोजगार परिदृश्य धुंधला है और वांछित परिणामों से कम है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रोज़गार –बेरोज़गारी सर्वेक्षण (NSSO EUS) 2011-12 ने संकेत दिया कि भारत के कार्यबल का केवल 2.2% औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्राप्त है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, औपचारिक रूप से व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का अनुपात 2011-12 में 2.2% (10.43 मिलियन) से घटकर 2017-18 में 2% (9.14 मिलियन) हो गया, जो 2022-23 में बढ़कर 3.7% (21.05 मिलियन) हो गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) 2015 के अनुसार, भारत के कार्यबल का केवल 2.7% औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के अपने लक्ष्य के करीब है। वर्तमान में अपने 'अमृतकाल' में, एक परिवर्तनकारी युग जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, देश में आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए लगभग सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसकी उन्नति में कई कारक योगदान करते हैं, लेकिन इसके आशाजनक भविष्य की नींव को मजबूत करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक इसकी युवा पीढ़ी है। भारत के पास एक महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि इसके 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं; उनकी क्षमता का दोहन पर्याप्त प्रगति की सुविधा प्रदान कर सकता है।

हालांकि, यह आवश्यक है कि युवाओं को आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान किए जाएं ताकि वे नौकरी के लिए तैयार हो सकें और उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2030 तक 2.9 करोड़ कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। एक और चिंता का विषय कौशल और अवसरों के बीच बढ़ती खाई है। अनगिनत युवा प्रतिभाएं बेरोजगार हैं, जबकि कंपनियों को प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, रोज़गार बाज़ार लगातार बदल रहा है और अधिक प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। वर्तमान में, संगठन पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं से दूर जा रहे हैं, जो केवल डिग्री या कार्य अनुभव पर ज़ोर देती थीं। अब वे कौशल-आधारित भर्ती प्रक्रियाओं को लागू कर रहे हैं, जिसमें ऐसे उम्मीदवारों की तलाश की जाती है जो न केवल आवश्यक कौशल रखते हों बल्कि कार्यस्थल की बढ़ती मांगों और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की क्षमता भी दिखाते हों।

उद्योग संघ, जैसे कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM), FutureSkills Prime जैसे प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं, जिसका उद्देश्य आईटी पेशेवरों और छात्रों को उन्नत कौशल, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, और साइबर सुरक्षा में तैयार करना है।

तकनीक पर केंद्रित विशेष पाठ्यक्रम छात्रों को उभरती हुई तकनीकों में कौशल और ज्ञान विकसित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। ये पाठ्यक्रम तकनीकी विकास, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, जिससे छात्र अपनी स्वयं का तकनीक-आधारित व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उद्योग के विकास और प्रगति में योगदान कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों से छात्रों को न केवल तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त होगी, बल्कि उन्हें भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर और उद्यमशीलता की संभावनाएं भी मिलेंगी।यहाँ ऐसे पाठ्यक्रमों की एक उदाहरणात्मक सूची दी गई है जिनकी उच्च मांग होने की संभावना है और जो भविष्य

के तकनीकी विकास के लिए सहायक हो सकते हैं:

- **साइबर सुरक्षा**: बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस**: मशीन लर्निंग मॉडल, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और अन्य AI तकनीकों को विकसित और तैनात करना।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग**: क्वांटम यांत्रिकी और एल्गोरिदम को समझने वाले पेशेवर।
- **ब्लॉकचेन**: क्रिप्टोकरेंसी और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के उदय के कारण।
- **संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता**: AR/VR को जल्द ही गेमिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि में व्यापक रूप से अपनाया जाएगा।
- **डेटा विज्ञान**: डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय मॉडलिंग कौशल।
- **क्लाउड कंप्यूटिंग**: ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है जो क्लाउड-आधारित सिस्टम को डिज़ाइन और तैनात कर सकें।
- **इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)**: जैसे-जैसे ज़्यादा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं, IoT ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- **रोबोटिक्स**: विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रोबोट को डिज़ाइन और प्रोग्राम करना।
- **3D प्रिंटिंग**: विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण उद्योगों में इसे और अधिक व्यापक रूप से अपनाए जाने की उम्मीद है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा**: चूँकि दुनिया संधारणीय ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रही है, इसलिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ उच्च माँग में होंगी।
- **बड़ा डेटा**: बड़े डेटा सेटों का प्रबंधन और विश्लेषण करना, उद्योगों में एक महत्वपूर्ण कौशल है।
- **मोबाइल एप्लिकेशन विकास**: मोबाइल एप्लिकेशन डिज़ाइन और विकसित करने वाले पेशेवरों की उच्च माँग बनी रहेगी।
- **गेम डेवलपमेंट**: तेज़ी से बढ़ते गेमिंग उद्योग के लिए।

निष्कर्ष

भारत के भविष्य के लिए तकनीक के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान करना आवश्यक है। देश को दुनिया के सबसे बड़े कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए सुलभ, मापनीय और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, AI-संचालित व्यक्तिगत प्रशिक्षण और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सुलभ और कुशल बना रहे हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए सरकार, वाणिज्यिक क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। भारत को डिजिटल अंतर को दूर करके, प्रशिक्षण में सुधार करके और भविष्य के लिए तैयार कौशल पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक विकास और सामाजिक निष्पक्षता के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना चाहिए। कौशल में यह तकनीकी क्रांति युवाओं को रोजगार योग्य और तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवाचार करने और समृद्ध होने के लिए सशक्त बनाती रहेगी। ❑

ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र ज़रूरी

*डॉ. नम्रता सिंह पंवार

भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले कुछ वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाते। ग्रामीण महिलाओं की सहनशीलता और दृढ़ता दो ऐसे गुण हैं जो उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। सरकार उन्हें उनके उद्यमिता सफर में आने वाली रुकावटों को दूर करके उनकी मदद कर सकती है। अलग-अलग योजनाओं के बजाय, सरकार को उन्हें एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना चाहिए जिससे वे फल-फूल सकें और विकसित हो सकें।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं हैं, लेकिन उनका योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सिर्फ 17 प्रतिशत है। नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसमें मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट और विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, कहती है कि अगर भारत 2025 तक 68 मिलियन और महिलाओं को कार्यबल में शामिल करता है, तो उसकी GDP में 0.7 ट्रिलियन डॉलर का इज़ाफा हो सकता है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि अगर भारत 50% तक महिलाओं को कार्यबल में शामिल करता है, तो GDP की वृद्धि दर में 1.5 प्रतिशत अंक का इज़ाफा हो सकता है। इसलिए भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए महिला श्रमिक भागीदारी दर को बढ़ाना होगा और यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है।

आजकल जब नौकरी की कमी और अनिश्चितता का दौर है, महिलाएं खुद का व्यवसाय चलाने के विचार से आकर्षित हो रही हैं, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, खासकर भारत में। भारत में महिलाओं के पास कुल उद्यमों का केवल 20% हिस्सा है। इनमें से कुछ ही उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। अधिकतर उद्यम केवल महिलाओं के नाम पर

*लेखिका जीडीसी चौबट्टारवाल (पौड़ी गढ़वाल) उत्तराखंड में सहायक प्रोफेसर हैं।

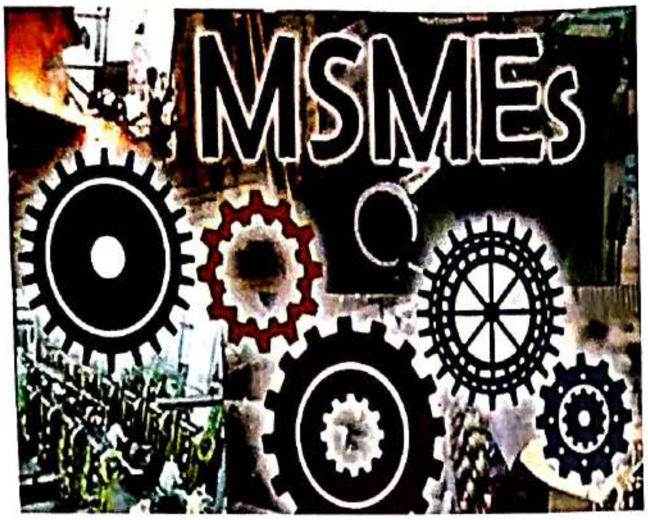

पंजीकृत होते हैं ताकि वित्त और अनुमतियों तक पहुँच बनाई जा सके। 82% महिला-नेतृत्व वाले उद्यम माइक्रो यूनिट्स होते हैं, जिन्हें एकल स्वामित्व के रूप में चलाया जाता है, और अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में स्थित होते हैं।

ग्रामीण-शहरी अंतर के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ अधिक महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं। एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 22.24 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 18.42 प्रतिशत है। यह सरकार के महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। सरकार के ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न केवल ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन करेगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों की प्रगति में भी मदद करेगा, जिससे ग्रामीण-शहरी विकासात्मक लिंक और पलायन को कम किया जा सकेगा। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को स्टार्टअप की लहर का हिस्सा बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों का विकास देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्यस्थल बेहतर बनते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह सामने आया है कि जिन व्यवसायों में कम से कम एक महिला संस्थापक होती है, उनकी कार्य संस्कृति अधिक समावेशी होती है, वे पुरुषों के मुकाबले तीन गुना अधिक महिलाओं को रोजगार देती है, और उनका कुल राजस्व 10% अधिक होता है। यह सरकार के लिए ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

लेख के अगले भाग में इनमें से कुछ योजनाओं का विवरण दिया गया है और साथ ही, कुछ लोकप्रिय योजनाओं की भी चर्चा की गई है जो सभी महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी।

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं

भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ अद्वितीय योजनाएं शुरू की हैं। उनमें से कुछ हैं-

✓ **स्किल अपग्रेडेशन और महिला कॉयर योजना (MCY):** स्किल अपग्रेडेशन और महिला कॉयर योजना (MCY) कॉयर विकास योजना के तहत एक प्रमुख योजना है, जो घरेलू और निर्यात बाजारों के विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तीकरण, रोजगार/उद्यमिता सृजन और विकास, कच्चे माल के उपयोग में वृद्धि, व्यापार से संबंधित सेवाएं, कॉयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ आदि प्रदान करती है। महिला कॉयर योजना (MCY) एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिला कारीगरों को कॉयर उद्योग में कौशल विकास के लिए चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत दो महीने का कॉयर स्पिनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन

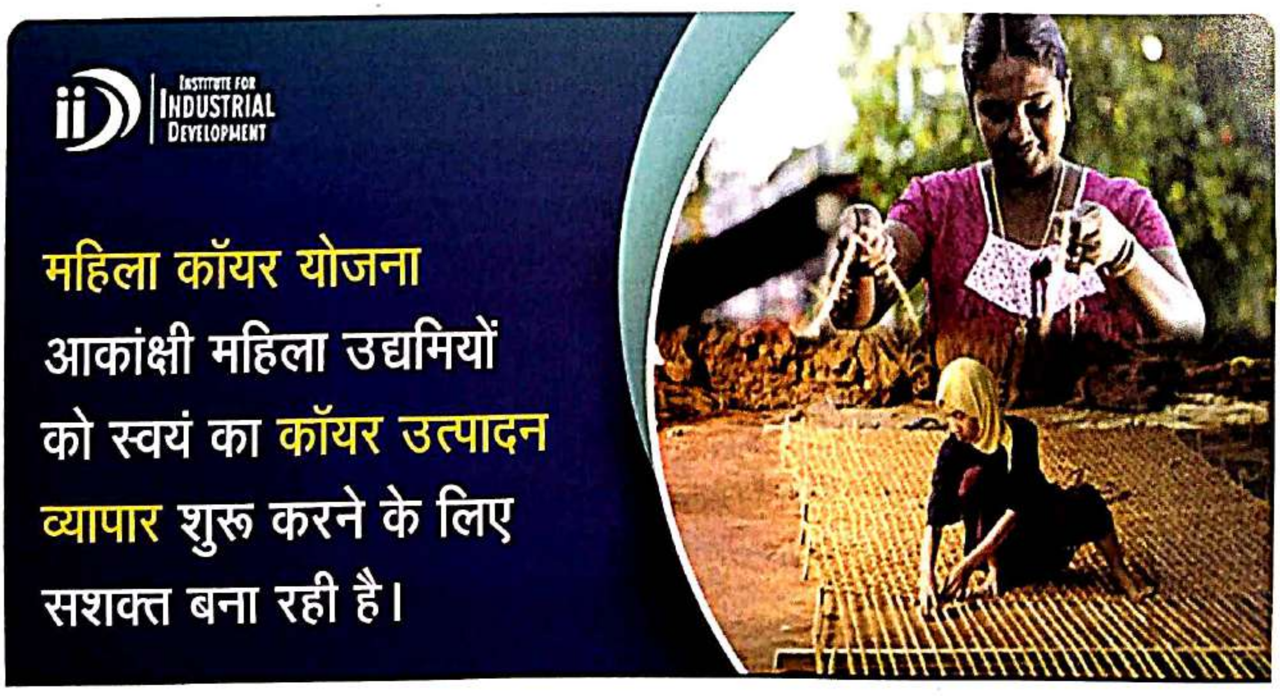

उम्मीदवारों ने इस प्रशिक्षण को पूरा किया है, उन्हें प्रति माह 3000/- रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत कॉयर यूनिट स्थापित करने हेतु सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

✓ **स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)**: SVEP डीएवाई-एनआरएलएम की उप-योजना है। SVEP का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को गाँव स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे ग्रामीणों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके और गरीबी और बेरोज़गारी कम हो सके। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण गरीबों के लिए खोला गया है जो आत्मनिर्भर और उद्यमी बनना चाहते हैं। महिलाओं, हाशिये पर रहने वाले वर्गों, एससी और एसटी समुदायों, और ग्रामीण कारीगरों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2.08 लाख उद्यम स्थापित किए गए हैं। (PIB, 2022)

✓ **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)**: यह भी डीएवाई-एनआरएलएम की एक उप-योजना है जो ग्रामीण महिलाओं में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। MKSP का मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है, ताकि उनकी भागीदारी और उत्पादकता में वृद्धि हो सके, और उनकी कृषि-आधारित आजीविका का सृजन कर उसे बनाए रखा जा सके। यह परियोजना महिलाओं को कृषि उत्पादन संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और सहायक प्रणालियों को प्रबंधित करने में सक्षम बनाकर उन्हें सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट और सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने का प्रयास करती है। लगभग 1.77 करोड़ महिला किसानों को इन कृषि हस्तक्षेपों के तहत कवर किया गया है। (PIB, 2022)

✓ **महिला शक्ति केंद्र (MSK)**: योजना को नवंबर 2017 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को समुदाय की भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। MSK ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण जैसी कई सेवाएं प्रदान करते हैं। यह महिलाओं को सरकारी लाभों तक पहुँच प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। महिला शक्ति केंद्र ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक एकल समाधान के रूप में कार्य करते हैं जो उद्यमों और व्यापार की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं।

✓ **महिला उद्यमिता विकास योजना (WED)**: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की महिला उद्यमिता विकास योजना महिला उद्यमियों को व्यापारिक उद्यमों में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा व्यवसायों को विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए भी पात्र माना जाता है। महिला उद्यमिता विकास योजना सभी वर्गों की महिला व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है। आवेदनकर्ता को 8% ब्याज दर पर एक टर्म ऋण

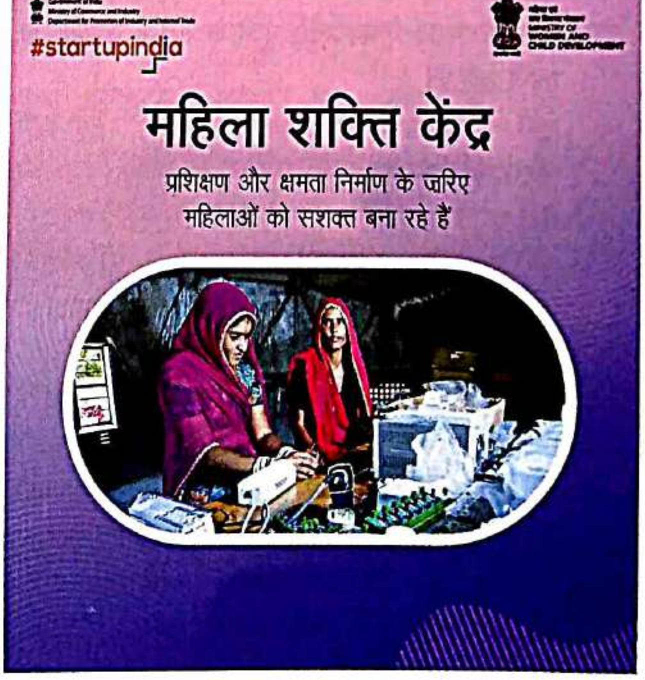

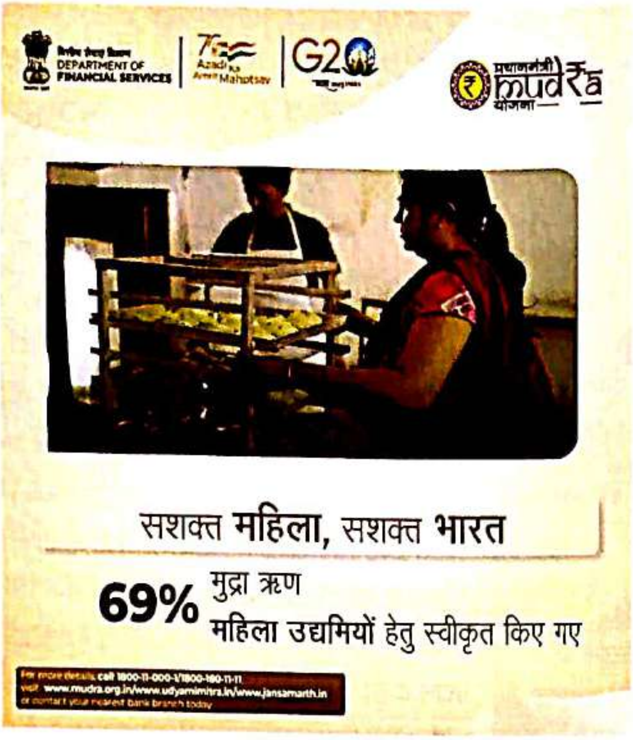

और कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त हो सकता है। ऋण उन महिलाओं का स्वीकृत किया जाएगा जो एक व्यवहार्य व्यवसाय में संलग्न हैं। ऋण की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये है, और परियोजना के लिए 75% सहायता राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

✓ **अन्नपूर्णा योजना** : भारत सरकार की यह योजना खाद्य सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। यह उन महिलाओं को लक्षित करती है जो छोटे खाद्य कैटरिंग व्यवसायों जैसे टिफिन सेवाएं, खाद्य स्टॉल या कैंटीन चलाती हैं। महिला उद्यमी 36 महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए बिना किसी संपार्श्विक के आवेदन कर सकती हैं। यह ऋण राशि खाद्य व्यवसाय में कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की जानी चाहिए।

✓ **मुद्रा योजना-महिला उद्यमियों के लिए ऋणः** मुद्रा ऋण भारत सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख समर्थन उपायों में से एक हैं। इसने भारत के छोटे व्यवसायों के व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। मुद्रा ऋण के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुद्रा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय बैंक/एमएफआई अपने ऋणों पर ब्याज दरों में कमी जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने पर विचार कर सकते हैं। वर्तमान में, मुद्रा द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण देने वाले एमएफआई/एनबीएफसी को अपनी ब्याज दरों में 25 बीपीएस की कमी की पेशकश की गई है। 24 नवंबर, 2023 तक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ (69%) महिलाओं हेतु स्वीकृत किए गए। (PIB, 2023)

✓ **स्टार्टअप इंडिया पहलः** भारत सरकार ने जनवरी 2016 में इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत में उभरती स्टार्टअप संस्कृति को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी और गरीबी में कमी आए। इस योजना के तहत, जो संस्थाएं कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग (DPIIT) द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। 31 दिसंबर, 2022 तक, DPIIT द्वारा कुल 86,713 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई जिनमें से 46% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए धन प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए फंड्स स्कीम में 10% (1000 करोड़ रुपये) राशि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही, केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कई अन्य योजनाएं जैसे निधि, एमएसएमई चैंपियन योजना, सिंगल विधवा योजना, कार्यशील पूंजी योजना आदि शुरू की हैं।

हालांकि, जैसाकि ऊपर बताया गया है, भारत सरकार ने महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, फिर भी इनकी कुल संरचना में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खामियां इन योजनाओं की समग्र प्रभावशीलता को कम कर रही हैं। इसलिए इन खामियों को समझना और पहचानना आवश्यक है।

प्रमुख योजनाओं में खामियां

- **प्रचार की कमीः** अधिकांश इच्छुक महिला उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इन योजनाओं को जिस प्रकार से प्रचारित किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं किया जाता। सभी योजनाओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों में पर्याप्त प्रचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिला उद्यमियों की शिक्षा का स्तर कम होता है, जिससे वे इन योजनाओं तक पहुँचने और उन्हें एक्सप्लोर करने में असमर्थ होती हैं।
- **सीमित फोकस** : अधिकांश केंद्र और राज्य योजनाएं महिलाओं को प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की सहायता - वित्तीय और कौशल विकास- पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। हालांकि ये दोनों उद्यमिता चक्र के मूल तत्व हैं, फिर भी, ग्रामीण महिला उद्यमियों को इसके अलावा

भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कमज़ोर बाज़ार लिंक, उचित मार्गदर्शकों की कमी, प्रमुख बाज़ार खिलाड़ियों से कटा हुआ होना, आदि। इसलिए इन योजनाओं का बारीकी से विभाजन इन योजनाओं को महिला उद्यमियों द्वारा ग्रहण करने में गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है।

- **लक्षित योजनाओं की कमीः** अधिकांश केंद्रीय और राज्य योजनाएं सभी प्रकार के लाभार्थियों के लिए होती हैं- पुरुष, महिला, और अन्य। कुछ केंद्रीय योजनाएं महिलाओं के लिए विशेष कोटे और प्रावधान प्रदान करती हैं। राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाएं हैं जो केवल महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वह भी ग्रामीण महिलाओं पर। हालांकि यह कोई योजना न होने से तो बेहतर है, फिर भी महिलाओं की उद्यमिता पर लक्षित ध्यान देने से, उन्हें विशेष रूप से उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने में, मदद मिल सकती है।
- **कुछ क्षेत्रों की अनदेखीः** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं अक्सर क्षेत्र-निर्दिष्ट दृष्टिकोण को अपनाती हैं जो एक तरह से अच्छा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से एक सेवा क्षेत्र है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1981 से 2019 के बीच, कुल रोज़गार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 19% से बढ़कर 47% हो गया, फिर भी इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाएं बहुत कम हैं। इसके अलावा, बहुत कम योजनाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था और उन संभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **योजनाओं तक सीमित ऑनलाइन पहुँचः** ग्रामीण महिलाओं के बीच सीमित डिजिटल साक्षरता होने के बावजूद, योजनाओं तक ऑनलाइन पहुँच बढ़ाकर सरकार बड़ी समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, लाभों के वितरण में देरी, और लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के सीमित उपयोग को दूर कर सकती है। हालांकि, योजनाओं तक आंशिक ऑनलाइन पहुँच और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस की कमी ने उपयोगकर्ताओं को निराश किया है। उपयोगकर्ता सामान्य कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी का अभाव, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया, स्थानीय भाषा में जानकारी की कमी, और पात्रता मानदंडों और संपर्क व्यक्तियों की कार्यात्मक जानकारी की स्थानीय व्याख्याओं में अंतर। अधिकांश योजनाओं का शिकायत निवारण तंत्र अप्रभावी और अपर्याप्त है।

सुझाव

आगे हम कुछ सुझावों पर चर्चा करेंगे, जो महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी, समावेशी और उपयोगकर्ता-मित्र बना सकते हैं।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, ग्रामीण महिला उद्यमियों को मुख्यतः अच्छे बाज़ार संबंधों, नेटवर्किंग और उपयुक्त मार्गदर्शन की कमी होती है। इसलिए उन्हें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो व्यापक और समग्र हों। ऐसी योजनाएं जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उन्हें स्थिर और टिकाऊ भी बनाती हैं। यह लंबे समय से सिद्ध हो चुका है कि सफल उद्यमी के लिए व्यावसायिक समर्थन सेवाओं की निरंतरता की आवश्यकता होती है, ताकि उनके उद्यमों का जीवित रहना और विकास सुनिश्चित किया जा सके। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक समग्र योजना में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए छह प्रकार की समर्थन सेवाएं होनी चाहिए- उद्यमिता प्रचार, व्यावसायिक समर्थन सेवाओं की पहुँच, बाज़ार संबंध, वित्त तक पहुँच, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, और मार्गदर्शन तथा नेटवर्किंग। ऐसी योजनाओं की एकीकृत प्रणाली जिसमें सभी सहायता सेवाएं उपलब्ध हो, भारत में महिला उद्यमियों की संख्या को बढ़ा सकती है।

दूसरे, सरकार को इन योजनाओं के उपयोगकर्ताओं को एक पूर्ण पैकेज देना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकारी प्रशासन को उपयोगकर्ता की यात्रा के दौरान योजना के पूरे जीवनचक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योजना में पंजीकरण से लेकर लाभ प्राप्त करने तक महिला उद्यमियों को कई चरणों से गुज़रना पड़ता है। कई बार यह देखा जाता है कि कुछ चरण अन्य चरणों से अधिक कठिन होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता यात्रा टूट जाती है, और योजना की उपयोगिता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसलिए योजना को डिज़ाइन करने से लेकर उसकी डिलीवरी, कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण

तंत्र तक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए, जो योजना की प्रभावशीलता और प्रभाव को समझने में मदद करेगा।

तीसरे, जो योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उन्हें उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनका यूज़र इंटरफेस, पहुँच की आसानी और जानकारी के उपयोग में सुधार करना चाहिए। साथ ही, बहुभाषी सामग्री को एकीकृत कर आवाज, वीडियो और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करके योजनाओं, उनके पात्रता मानदंडों, प्रक्रिया और शिकायत समाधान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। प्रमुख सरकारी पोर्टलों और प्लेटफार्मों का संयोजन, आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान करना और आवेदन ट्रैकिंग सुविधाओं के लिए अलर्ट और एसएमएस का समावेश करना चाहिए।

चौथे, सरकारी प्रशासन को महिला उद्यमियों के लिए योजनाओं तक पहुँच बनाने में अंतिम मील तक आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करनी चाहिए। उन्हें योजना का चयन करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। लाभार्थियों को डिजिटल और भौतिक या सहायक पहुँच के लिए योजना की पूरी प्रक्रिया का विकल्प होना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों को, जो डिजिटल रूप से अधिक साक्षर नहीं हैं, योजना तक पहुँचने में शारीरिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह काम महिला कॉमन सर्विस सेंटर एजेंटों द्वारा किया जा सकता है, जिन्होंने पहले ग्रामीण भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद की हो।

पांचवे, योजनाओं के उपयोग पर लिंग-विशिष्ट डेटा एकत्र कर उसको एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में योजना के प्रदर्शन और कारणों का पता लगाने में मदद कर सकता है। योजनाओं पर लिंग-विशिष्ट डेटा एकत्र करना, रिपोर्ट तैयार करना और वितरित करना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव को पुरुषों और महिलाओं द्वारा स्वामित्व वाले उद्यमों पर अलग से समझा जा सके। इससे योजना के लाभ और सफलता में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी पता चल सकता है।

महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को अविकसित अनौपचारिक क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्रों में लाने के लिए एक औपचारिक अभियान की आवश्यकता है। इसके लिए पहले से एक विस्तृत नेटवर्क होना चाहिए (जिसमें महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए) जो विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद कर सकें, ताकि वे फॉर्म भर सकें, कागजी कार्रवाई कर सकें और आवश्यक अनुमतियां और लाइसेंस प्राप्त कर सकें।

संक्षेप में, भारत का अगले 10 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, और ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता कौशल की छिपी हुई क्षमता को उजागर करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ग्रामीण महिलाओं में लचीलापन और धैर्य जैसी दो निर्विवाद विशेषताएं हैं, जो उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती हैं। सरकार उनकी उद्यमिता यात्रा में अवरोधों को समाप्त करके उनका समर्थन कर सकती है। अलग-अलग सहायता प्रदान करने के बजाय, सरकार को ग्रामीण महिला उद्यमियों के विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

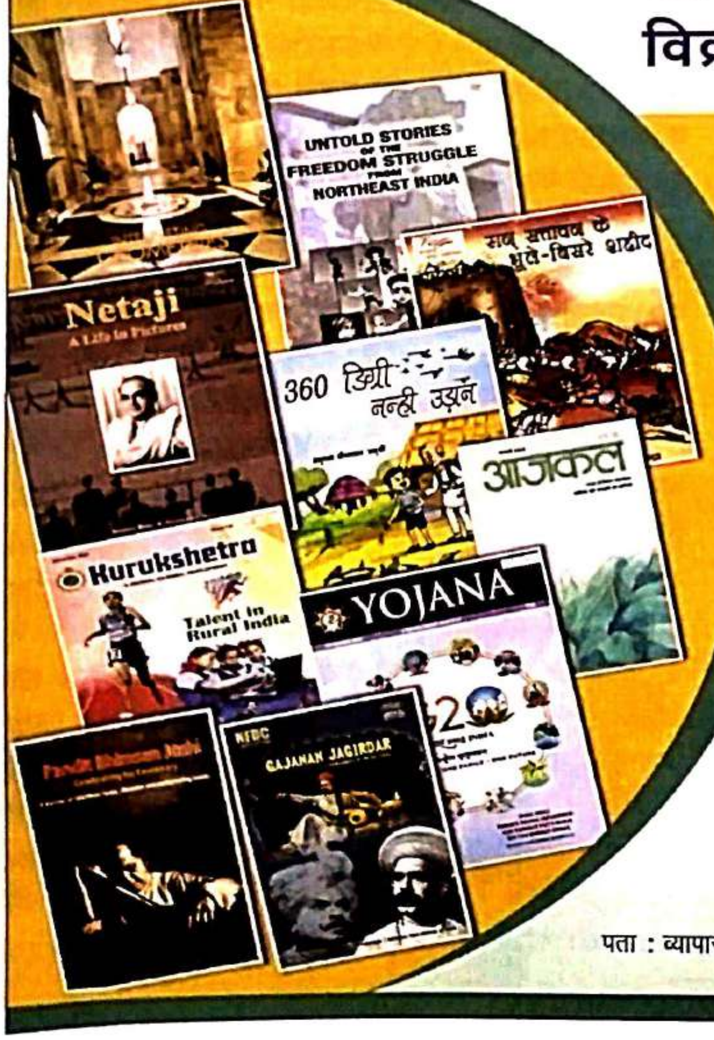

प्रमुख लाभ :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

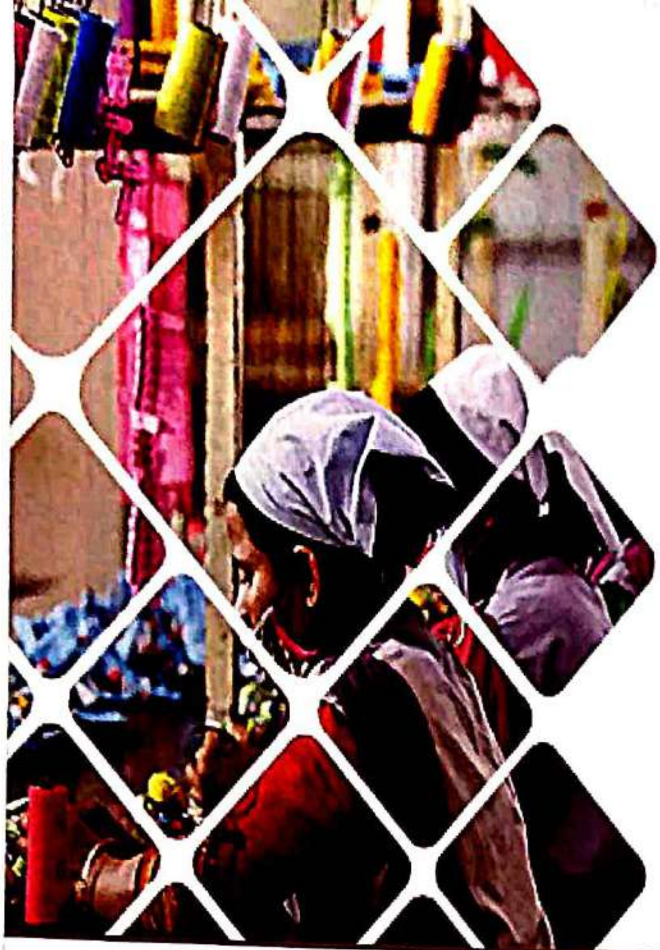

ग्रामीण भारत में कुशल कार्यबल का निर्माण

*बीएस पुरकायस्थ

एक औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को बेहतर नौकरियाँ दिला सकता है और बड़े शहरों में पलायन को कम कर सकता है। और जो अपने खुद के उद्यम शुरू करते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो, वे स्थानीय युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं और एक स्थानीय नायक बन सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कौशल में निवेश करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। ग्रामीण युवाओं के लिए लक्षित कार्यक्रम जैसे DDU-GKY और RSEIT उत्साहजनक परिणाम दिख रहे हैं।

जहां कौशल है, वहां नौकरियां अपने आप आ जाएंगी–यह एक प्रसिद्ध कहावत है। यह सत्य है कि अधिक कुशल कार्यबल वाले देश बदलते आर्थिक परिदृश्यों और नौकरी बाजार में अवसरों के अनुकूल तेजी से ढलते हैं। जब बात ग्रामीण कार्यबल की होती है, तो यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। एक औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को बेहतर नौकरियाँ दिला सकता है और बड़े शहरों में पलायन को कम कर सकता है। और जो अपने खुद के उद्यम शुरू करते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो, वे स्थानीय युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं और एक स्थानीय नायक बन सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कौशल में निवेश करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक, 28 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करके एक कार्यबल को तैयार कर सकता है जो रोज़गार योग्य कौशल से सुसज्जित हो और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए तैयार हो। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन उनमें से कई के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कौशल नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि 51.25% युवा रोज़गार योग्य माने जाते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दशक में यह प्रतिशत लगभग 34% से बढ़कर 51.3% हो गया है।

भारत का कार्यबल, 2022-23 के अनुमान के अनुसार, लगभग 56.5 करोड़ था। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2023-24 में 63.7% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 47.6% से बढ़कर 52.0% हुआ है। अखिल भारतीय आँकड़ा 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में बढ़ते कार्यबल को ध्यान में रखते हुए हर साल लगभग 78.5 लाख नौकरियों का सृजन करना आवश्यक है।

पीएम का कौशल और रोज़गार पैकेज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशभर में कौशल और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो आर्थिक विकास और नवाचार में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। केंद्रीय बजट 2024-25 में एक प्रमुख घोषणा यह थी कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और उद्योगों का सहयोग लिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करना है। प्रधानमंत्री के पैकेज का हिस्सा बनने के लिए पाँच प्रमुख योजनाएं और पहलों की घोषणा की गई है, जो 2 लाख करोड़ रुपये की बड़ी केंद्रीय

लेखिका दिल्ली से संबद्ध वरिष्ठ पत्रकार हैं। ई-मेल : ideainks2020@gmail.com

राशि से समर्थित हैं। पूरे पैकेज के तहत पाँच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने की घोषणा की गई है, जिससे 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार की गारंटी मिलेगी, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। जो लोग मौजूदा योजनाओं के लिए अयोग्य हैं, उन्हें घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों के लिए 3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी वाले ई-वाउचर उपलब्ध होंगे।

सरकार की कौशल विकास पहल

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (NPSDE)

NPSDE का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास के अंतर को पाटना, उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना, गुणवत्ता आश्वासन ढाँचा स्थापित करना, तकनीक का लाभ उठाना और प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के अवसरों का विस्तार करना है। यह नीति विशेष रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता देती है और महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देती है। उद्यमिता के क्षेत्र में यह नीति संभावित उद्यमियों को शिक्षित करती है, मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाती है, और सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ मिलकर, यह भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को पाटने की अपार संभावनाएं रखती है।

कौशल भारत मिशन (SIM) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) विभिन्न योजनाओं के तहत देशभर के युवाओं को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना (CTS)। MSDE के अलावा, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग DDU-GKY, ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। SIM का उद्देश्य भारतीय युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है, जो उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित हो।

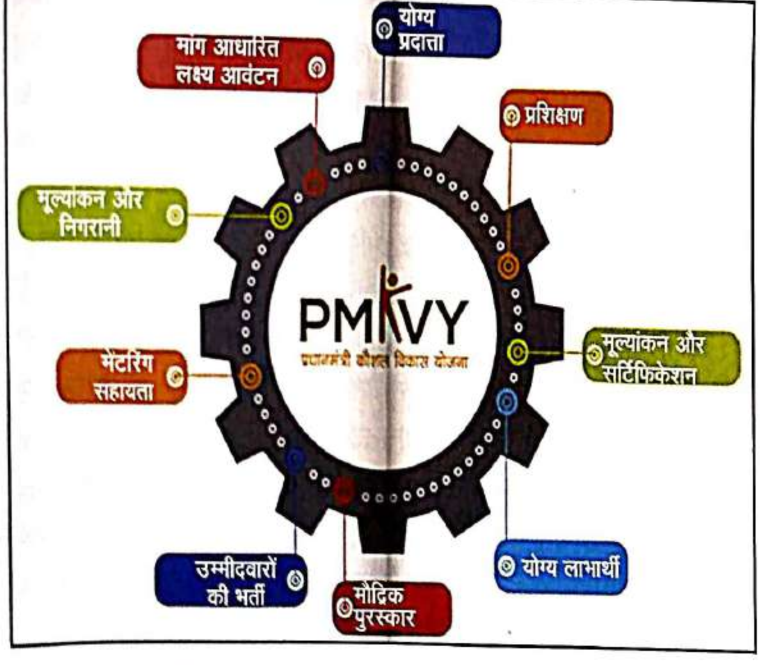

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

PMKVY ने 2015 में अपनी स्थापना के बाद से भारत में कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब तक, इस योजना ने 1.42 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 1.13 करोड़ लोगों को शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (STT), विशेष परियोजनाओं (SP) और पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) के तहत प्रमाणित किया गया है। देश भर के 1,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों को कौशल भारत केंद्रों के रूप में एकीकृत किया गया है, जिससे कौशल बढ़ाने के अवसरों की

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रगति

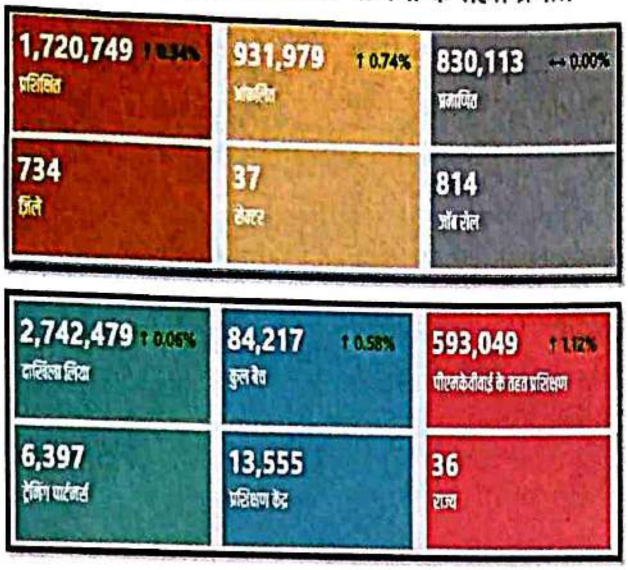

पहुँच में वृद्धि हुई है। PMKVY ने आठ प्रमुख क्षेत्रों में नए युग और भविष्य के 119 कौशल पाठ्यक्रमों की शुरुआत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो बदलते उद्योगों की मांगों के अनुरूप हैं। PMKVY 4.0 के तहत, 30 जून, 2024 तक, देश भर में 12,257 प्रशिक्षण केंद्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,445 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। PMKVY की एक प्रमुख उपलब्धि इसका लैंगिक समावेशिता पर फोकस है, जो महिला भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में सामने आया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत वित्तवर्ष 2016 में 42.7% से बढ़कर वित्तवर्ष 2024 में 52.3% हो गया है।

क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना (CTS)

क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना (CTS) भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो 15,034 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। इनमें से 1,628 ITIs (520 सरकारी ITIs और 1,108 निजी ITIs) आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में स्थापित हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ITIs और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में महिलाओं की दीर्घकालिक कौशल कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ रही है, जो वित्तवर्ष 2016 में 9.8% से बढ़कर वित्तवर्ष 2024 में 13.3% हो गई है। पहुँच को बढ़ाने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना ने ITIs के लिए एक नया ग्रेडिंग तंत्र लागू किया है, जिसे डेटा-आधारित ग्रेडिंग पद्धति (DDGM) के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली NCVT MIS पोर्टल पर उपलब्ध मापदंडों/सूचनाओं का उपयोग करती है और इसे सत्र 2023-24 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों में मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना है।

जन शिक्षण संस्थान

जन शिक्षण संस्थान (JSS) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों में गैर-साक्षर, नव-साक्षर, प्रारंभिक शिक्षा वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं तक के स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिकता समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वर्गों में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक शामिल हैं। वर्तमान में देशभर में 290 जनशिक्षण संस्थान सक्रिय हैं, जिनमें से 69 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं। वित्तवर्ष 2019 से वित्तवर्ष 2024 तक, JSS ने 26.36 लाख व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 24.94 को प्रमाणित किया गया है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, JSS ने क्षमता निर्माण के उपाय शुरू किए हैं, जिनमें नए उपकरणों के साथ प्रयोगशालाओं को उन्नत करके 30 मॉडल JSS की स्थापना और 150 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है। JSS ने अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें प्रबंधन क्षमताओं और संचार कौशल को बढ़ाना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य सुविधाओं को आधुनिक बनाना और प्रशिक्षण पद्धतियों में सुधार करना है ताकि शिक्षार्थियों की बदलती आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि JSS ने लैंगिक समानता के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसमें कुल लाभार्थियों में से लगभग 82% महिलाएं हैं। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में, यानी 2019-20 से 2023-24 तक, ITIs और JSS केंद्रों में क्रमशः 5,28,866 और 3,40,089 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

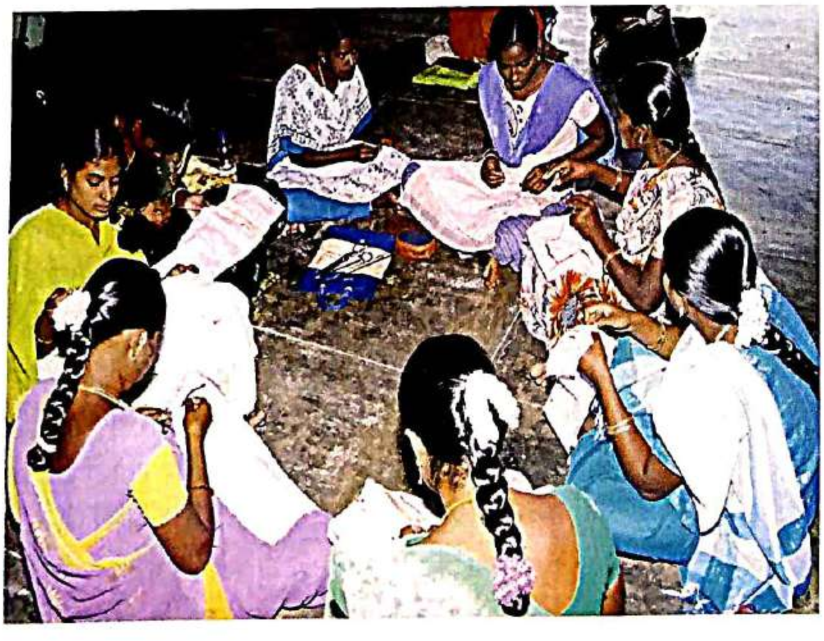

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) का उद्देश्य भारत में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है। अपनी स्थापना से अब तक,

विभिन्न क्षेत्रों में कुल 32.38 लाख प्रशिक्षुओं को लगाया गया है। NAPS पोर्टल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या मार्च 2017 में 17,608 से बढ़कर मार्च 2024 तक 2.21 लाख हो गई है, जो उद्योगों की व्यापक भागीदारी और समर्थन को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है, जो 2016-17 में 7.74% से बढ़कर 2023-24 में 20.77% हो गई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास परिलक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त, योजना NAPS-2 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र का उपयोग करती है, जिससे प्रशिक्षुओं के स्टाइपेंड का 25% (1,500 तक) सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। मार्च 2024 तक, 22.46 लाख लेनदेन के माध्यम से कुल 320.88 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिससे प्रशिक्षुओं को समय पर वित्तीय सहायता मिलती है और अधिक प्रतिष्ठानों को सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उद्यमिता प्रशिक्षण

भारत में उद्यमिता प्रशिक्षण को राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) जैसे संस्थानों ने सुदृढ़ किया है। वित्तवर्ष 2019 से वित्तवर्ष 2024 तक, केवल NIESBUD ने 3.21 लाख लाभार्थियों को आवश्यक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसी अवधि के दौरान IIE गुवाहाटी ने 1.43 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं दी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्यमियों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है।

कौशल इंडिया डिजिटल हब मंच

अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया कौशल इंडिया डिजिटल हब मंच, एआई/एमएल तकनीक के माध्यम से कौशल, क्रेडिट और रोजगार तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाला एक समन्वय मंच है। यह पहल विभिन्न कौशल योजनाओं को एकीकृत करती है, जिसमें 690 ऑनलाइन पाठ्यक्रम और 1,650 QP-आधारित ई-बुक्स शामिल हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों की पहुँच को बढ़ाती है। इसके अलावा, मंच ई-श्रम/EPFO/

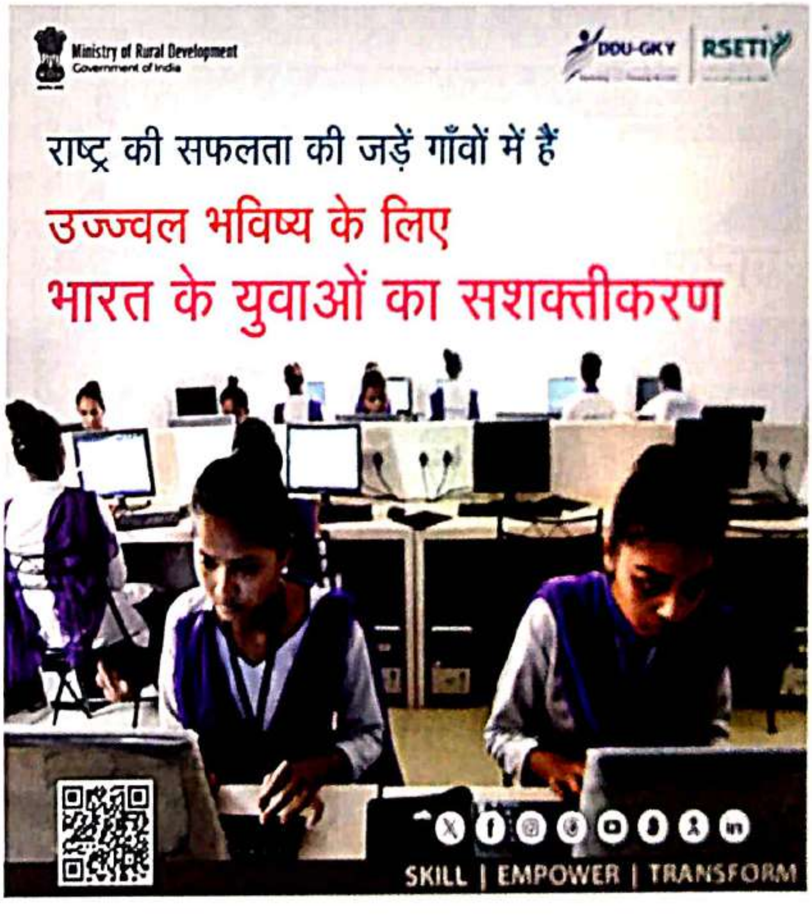

NCS, उद्यम, डिजीलॉकर, गति शक्ति, उमंग, कृषि स्टैक, PLI योजनाएं, और ODOP जैसी विभिन्न सरकारी पहलों और सेवाओं को भी समेकित रूप से जोड़ता है। अपनी स्थापना के बाद से, कौशल इंडिया डिजिटल हब ने उल्लेखनीय भागीदारी प्राप्त की है, जिसमें 60 लाख से अधिक शिक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं और 8.4 लाख बार ऐप डाउनलोड किया गया है।

कौशल हब पहल को PMKVY 3.0 के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करने पर केंद्रित था। PMKVY 4.0 का उद्देश्य व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच तालमेल स्थापित करना और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदाताओं का नेटवर्क बनाना है। कौशल हब केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs), कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (कौशल विश्वविद्यालयों सहित) में स्थापित किए जा सकते हैं, जो PMKVY के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे से लैस हैं। जून 2024 तक, लगभग 88 लाख उम्मीदवार पंजीकृत हो चुके हैं, 9.59 लाख मोबाइल ऐप डाउनलोड हो चुके हैं, और 7.63 लाख उम्मीदवार SIDH पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित हैं, जिसमें 752 ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। मंच पर 7.37 लाख मिनट की डिजिटल सामग्री 24X7 उपलब्ध और सुलभ है।

ग्रामीण युवाओं के लिए लक्षित कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गरीबी उन्मूलन की दो पहलें - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) चला रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। DDU-GKY के अंतर्गत 37 क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि RSETIs में ग्रामीण गरीब युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 64 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

DDU-GKY एक रोजगार-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम है जो सार्वजनिक-निजी

तालिका-1

वित्तवर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी	
	प्रशिक्षित	Settled	प्रशिक्षित	Settled	प्रशिक्षित	Settled
21-22	79077	63891	44022	33053	123636	103152
22-23	102650	81139	58627	47486	163405	130144
23-24	112132	88686	67200	50616	180265	140779
24-25 (जून 2024 तक)	34399	14141	19619	6290	58384	22526

Source: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU1331_8GTCxZ.pdf?source=pqals

भागीदारी (PPP) मोड में कार्यान्वित होता है, जिसमें प्रशिक्षित उम्मीदवारों के न्यूनतम 70% का प्लेसमेंट अनिवार्य है। इस योजना का प्रारंभिक रूप 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना' (SGSY) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में हुआ था, जिसे बाद में NRLM में बदलने पर 'आजीविका कौशल' के रूप में नामित किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में गुणवत्ता और रोज़गार के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से, इस योजना का 2014 में वर्तमान स्वरूप में पुनर्गठन किया गया। DDU-GKY के अंतर्गत, जून 2024 तक 16.50 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 10.52 लाख से अधिक उम्मीदवारों का प्लेसमेंट हुआ है।

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)

बैंकों द्वारा प्रबंधित और MoRD द्वारा वित्तपोषित ये RSETIs 18-45 वर्ष के ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और ऋण सहायता प्रदान करते हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है ताकि उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार हो सके। वर्तमान में, पूरे भारत में 584 जिलों में 598 RSETIs कार्यरत हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 78 हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 50 और बिहार में 38 हैं। RSETIs के तहत, जून 2024 तक 50.72 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 36.23 लाख से अधिक उम्मीदवारों को बसाया गया है।

SC, ST और OBC जैसी हाशिए पर रहने वाली श्रेणियों की भलाई का ध्यान रखते हुए, इन गरीब ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और स्वरोज़गार के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान SC, ST और OBC उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और रोज़गार मिलने का विवरण तालिका-1 दिया गया है।

उद्योग के साथ साझेदारी द्वारा कौशल विकास

किसी भी बड़े पैमाने के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए उद्योग संबंध महत्वपूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता, रोज़गार क्षमता और नए कौशलयुक्त कार्यबल को रोज़गार देने की मांग सुनिश्चित करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कौशल इंडिया मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (NSDC)-प्रेरित साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास, पुनः कौशल, और उन्नयन में उद्योग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। मार्च 2024 तक NSDC द्वारा 131 परियोजनाएं ली गई हैं, जिनसे 3.10 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है, जिनमें 42 आकांक्षी जिलों के लाभार्थी भी शामिल हैं।

सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों को नौकरी बाजार की बदलती आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. MSDE की योजनाओं के तहत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगों के साथ मिलकर, बाजार की मांगों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। NSDC द्वारा 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs) स्थापित किए गए हैं, जो संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास की जरूरतों की पहचान करने के साथ-साथ कौशल क्षमता मानकों को निर्धारित करने के लिए उद्योग के नेताओं द्वारा संचालित हैं।

ii. भविष्य के लिए ऐसी तैयार नौकरी भूमिकाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो उद्योग 4.0, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, मेकाट्रोनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। PMKVY 4.0 के तहत और CTS के अंतर्गत भी उभरती तकनीकों में मांग को पूरा करने के लिए नए युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) को एक समग्र नियामक के रूप में स्थापित किया गया है, जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करता है।

वैश्विक मानकों पर भारत में कौशल विकास

भारत में वैश्विक मानकों पर कौशल विकास के प्रयास, जैसे कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) और सरकार-से-सरकार (G2G) समझौतों के माध्यम से साझेदारी, इसकी रणनीतिक पहलों के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के अंतरिम बजट में 30 SIICs की स्थापना की घोषणा की गई, जो वैश्विक कौशल परिदृश्य में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में वाराणसी और SDI भुवनेश्वर में संचालित केंद्र इस पहल की शुरुआती सफलता को दर्शाते हैं, और पहले चरण में सात और केंद्र स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, UAE और यूके जैसे प्रमुख देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सूचना का आदान-प्रदान, मानक निर्धारण और योग्यता की पारस्परिक मान्यता शामिल हैं। इन साझेदारियों से अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि होती है और भारतीय योग्यता को विदेशों में मान्यता प्राप्त होती है।

सरकार ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, और फिनलैंड के साथ कौशल विकास को इन देशों में मांग के साथ संरेखित करने के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता समझौता भी किया है। वर्ष 2022 में किए गए एक अध्ययन ने 16 उच्च प्राथमिकता वाले गंतव्य देशों को चिह्नित किया है, जिनमें विकसित/उच्च आय वाले देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूएसए और GCC देश जैसे बहरीन, कुवैत, कतर शामिल हैं।

अब तक, 25,000 से अधिक उम्मीदवारों को सऊदी अरब, जापान, कतर, ओमान, यूके और UAE में तैनात किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 2021 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना भारत के कुशल व्यक्तियों की नैतिक और पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय भर्ती के लिए की गई थी। यह संगठन सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और आतिथ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। प्रयासों में NSDC से जुड़े 20 प्रशिक्षण केंद्रों और 12 केंद्रों पर भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण शामिल है, जिससे विभिन्न देशों में 26,000 से अधिक कुशल उम्मीदवारों की तैनाती की गई है।

भारत की विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण में प्रगति का उदाहरण वर्ल्ड स्किल्स 2024 में ल्यों, फ्रांस में दिखा, जहां भारत ने पैटिसरी और कन्फेक्शनरी, इंडस्ट्री 4.0, होटल रिसेप्शन और नवीकरणीय ऊर्जा में चार कांस्य पदक जीते। इसके अतिरिक्त, भारत ने 12 उत्कृष्टता पदक भी अर्जित किए, जो विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और नवाचार का प्रदर्शन करते हैं। 70 से अधिक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय दल की सफलता उनके प्रशिक्षण और मजबूत उद्योग समर्थन का प्रमाण है।

इन विभिन्न पहलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोज़गारी दर (सामान्य स्थिति) 2017-18 के 5.3% से घटकर 2023-24 में 2.5% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.7% से घटकर 5.1% हो गई है। वित्तीय वर्ष 2015 से 2022 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति श्रमिक मजदूरी 6.9% की सीएजीआर से बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.1% सीएजीआर रही। यह वृद्धि निर्माण और विनिर्माण जैसे ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी सार्वजनिक रोज़गार योजनाओं में श्रम की बढ़ती मांग को दर्शाती है। नवीनतम PLFS रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 2020-21 से 2023-24 तक निम्नलिखित था:

वर्ष	ग्रामीण	कुल
FY20-21	55.5	52.6
FY21-22	55.6	52.9
FY22-23	59.4	56
FY23-24	62.1	58.2

स्रोत : PLFS, MoSPI

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के आंकड़े धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नौकरियों की गुणवत्ता और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेतन का स्तर भी बेहतर हो। रोज़गार की गुणवत्ता और वेतन स्तर सीधे कौशल स्तर से जुड़े हैं। भारत में लगभग 50% ग्रामीण आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हालांकि, ग्लोबल डेवलपमेंट इनक्यूबेटर की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ रूरल यूथ एंप्लॉयमेंट-2024' के निष्कर्ष बताते हैं कि लगभग 70-85% ग्रामीण युवा छोटे विनिर्माण, खुदरा या व्यवसाय क्षेत्रों में काम करने की इच्छा रखते हैं, न कि कृषि में। इसके अतिरिक्त, 60% ग्रामीण पुरुष युवा रोज़गार के लिए पलायन करने के बजाय स्थानीय नौकरी के अवसरों को प्राथमिकता देते हैं।

लेकिन उसके लिए उचित कौशल भी ज़रूरी है। यहीं पर रोज़गार प्रोत्साहन योजनाएँ, विशेष रूप से योजना A और B - पहली बार काम करने वाले और विनिर्माण में रोज़गार सृजन, उन लोगों के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं जिनके पास पहले से कोई कार्य अनुभव नहीं है या जो औपचारिक रोज़गार में नहीं हैं , गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं। साथ ही, 100 शहरों में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय भी देश भर में रोज़गार के नए अवसर सुनिश्चित करेगा क्योंकि कंपनियाँ निर्दिष्ट औद्योगिक गलियारों के साथ विनिर्माण आधार स्थापित करेंगी और अपनी गतिविधियों का विस्तार करेंगी। साथ ही, हम कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये भीतरी इलाकों में ही रोज़गार के अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं। यह देखते हुए कि कृषि और संबंधित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बने हुए हैं, कृषि प्रसंस्करण में उत्पादकता बढ़ाना रोज़गार सृजन के लिए अनिवार्य है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। यह तभी संभव है जब युवा आवश्यक कौशल हासिल करें। ❑

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

अब उपलब्ध

संकलन 2024

योजना (अंग्रेजी)

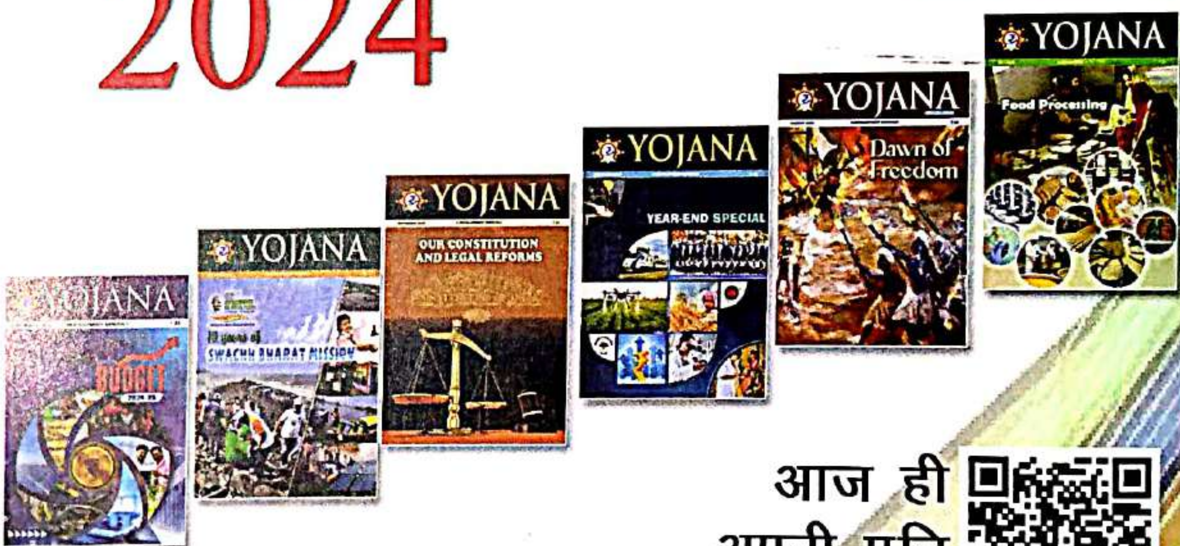

आज ही अपनी प्रति बुक करें

जनवरी से दिसंबर 2024
मूल्य : ₹300/-

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

EmploymentNews publicationsdivision dpd_india DPD_India YojanaJournal Employ_News

SUBSCRIPTION FORM

Tick (✓) appropriate column

Print version Plans

6 months	Rs. 265/-	( )
1 year	Rs. 530/-	( )
2 Year	Rs. 1000/-	( )
3 Year	Rs. 1400/-	( )

E-version Plans

6 months	Rs. 200/-	( )
1 year	Rs. 400/-	( )
2 Year	Rs. 750/-	( )
3 Year	Rs. 1050/-	( )

( ) **Employment News**

( ) **Rozgar Samachar–Hindi**

( ) **Rozgar Samachar–Urdu**

Demand Draft/Cheque should be in favour of 'Employment News'. Attach original copy of Demand Draft/Cheque with the form

Please fill all the details in CAPITAL Letters

Name: ______________________________

Postal Address: ______________________________

______________________________ Pin Code: __________

Landline Ph.: ____________________ Mobile: ____________________

Email Id: ______________________________

Send the filled form to:

Employment News,
Room No. 783, 7th Floor,
Soochna Bhawan,
Lodhi Road, New Delhi-110003

Online payment facility is also available for both plans.

Scan & Pay

For daily updates:
www.employmentnews.gov.in
www.rozgarsamachar.gov.in

@Employ_News **@EmploymentNews** **www.eneversion.nic.in**

कुल पृष्ठ : 52
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि : 1 दिसम्बर 2024
डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 दिसम्बर, 2024

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2024-26
Licenced under U (DN)-54/2024-26
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2022-23-24 (Magazine Post)

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

Available NOW

FUTURE-PROOF YOUR CAREER WITH EXCLUSIVE EXPERT INSIGHTS

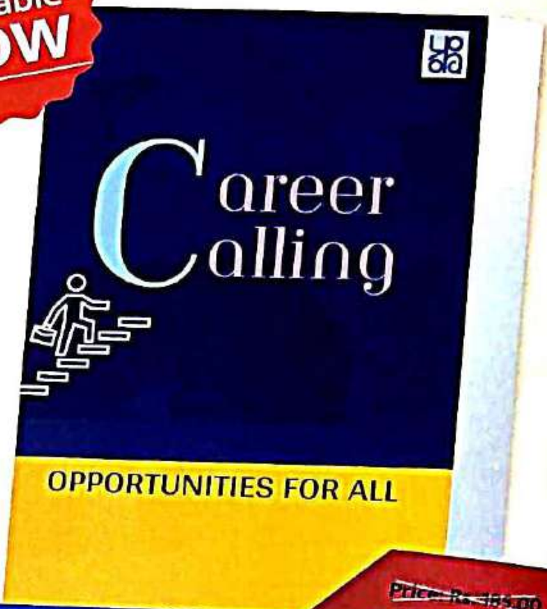

~~Price Rs. 185.00~~
Spl. Price
Rs. 166.50

Available at

www.publicationsdivision.nic.in

Book Gallery
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-03

www.amazon.in

For business related queries on this book, please contact:
Phone: 011 24365609 | Email: businesswng@gmail.com

@publicationsdivision | @Employ_News | @DPD_India | @dpd_india

प्रकाशक और मुद्रक : शेफ़ाली बी. शरण, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना